शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश विवरणिका

सत्र - 2016-17

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय
मस्तूरी, जिला : बिलासपुर (छ.ग.)
राष्ट्रीय सेवा योजना
सदभावना दिवस
पर आपका हार्दिक अभिनंदन है...

GOVT PATALESHWAR COLLEGE MASTURI
शासकीय पातालेश्वर
मस्तूरी, जिला - बिलासपुर

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला – बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड : 49551

Website – www.gpemasturi.com

प्रवेश विवरणिका

सत्र – 2016–17

आवेदन पत्र भरने से पूर्ण विवरणिका को ध्यान से पढे।

आवेदन फार्म में अपना संपर्क नं. अवश्य लिखें

महाविद्यालय का परिचय

बिलासपुर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर विकासखण्ड मुख्यालय, मस्तूरी में महाविद्यालय की स्थापना तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन के पूर्व शिक्षामंत्री माननीय स्व. श्री बंशीलाल धृतलहरे जी के अथक प्रयासों से सन् 16/19 अगस्त 1988 को की गई। स्थापना काल से सन् 30.10.2000 तक महाविद्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मस्तूरी में प्रातः कालीन पाली में संचालित होता रहा। छत्तीसगढ राज्य स्थापना 01 नवंबर 2000 से महाविद्यालय, शासन द्वारा प्रदत्त कोसमडीह रोड मस्तूरी में 15 एकड़ भूमि आबंटित की गई है, जिसमें सासंद/ विधायक मद, जनभागीदारी समिति कोष द्वारा निर्मित कक्ष एवं सभा भवन तथा यू.जी.सी अनुदान द्वारा निर्मित पुस्तकालय भवन में कला संकाय के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर का अध्यापन कार्य संचालित हो रहा है।

2006–07 में क्षेत्रीय विधायक एवं माननीय पूर्व उच्च शिक्षामंत्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, छत्तीसगढ शासन के अथक प्रयासों से महाविद्यालय के नवीन भवन का प्रस्ताव पारित हुआ, तदनुसार लगभग 76.59 लाख रूपये की लागत से महाविद्यालय भवन लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर द्वारा निर्मित कराया गया है। जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, छत्तीसगढ शासन द्वारा विकास यात्रा के दौरान दिनांक 13 जून 2008 को किया गया।

सत्र 2008–09 में महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ हुआ हैं। अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखण्ड मस्तूरी में स्थापित महाविद्यालय स्थापना काल से आज पर्यन्त अध्ययन, अध्यापन, पुस्तकालय, क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना, भौतिक संसाधन के माध्यम से भावी नागरिकों का सर्वागीण विकास कर रहा है।

महाविद्यालय जब प्रारंभ हुआ था उस समय छात्रों की संख्या 07 थी। महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में लगभग 350 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत् हैं। महाविद्यालय में परीक्षाफल अच्छा रहता है। महाविद्यालय के छात्र–छात्रायें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवायें दे रहे हैं।

पातालेश्वर जी का संक्षिप्त इतिहास

बिलासपुर से 30 एवं मस्तूरी से 13 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण– पश्चिम में स्थित मल्हार दक्षिण कोसल की यह ऐतिहासिक एवं पावन नगर कल्चुरी कालीन मंदिरों के लिये प्रसिद्ध हैं। मल्हार में कल्चुरी कालीन (900 ई. से 1300 ई.) पातालेश्वर मंदिर स्थित है। भूमिज शैली के बने इस मंदिर की आधार पीठिका 108 कोणों वाली है। मंदिर के मण्डप का चबूतरा भूमि से लगभग 6 फुट उंचा हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार एवं बाह्य– आंतरिक भागों में विभिन्न देवी –देवताओं की प्रतिमाएं अंकित है। पातालेश्वर जी का गर्भगृह एक तलघर की तरह है नीचे पहुंचने के लिये कुछ सीढ़िया उतरनी पड़ती है। गर्भगृह में भगवान शिव की विलक्षण प्रतिमा गोमुखी आकार–प्रकार के सुंदरी काले चमकदार पत्थर वाली जलहरी के मध्य त्रिकोणाकृत में अवस्थित है, इस मूर्ति में जितना भी जल चढाया जाये अंदर समाहित हो जाता है। एक विशेष प्रकोष्ठ में अवस्थित शिवलिंग पातालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं।

कल्चुरियों के शासन में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात था। हाल में खुदाई के दौरान पाये गये पुरावशेषों में वर्तमान में यह पुरातात्विक महत्व स्थल बन गया हैं। इस क्षेत्र में खुदाई के दौरान देउर डिंडेश्वरी, पातालेश्वर, चतुर्भुजी विष्णु तथा अनेक बौद्ध और जैन सम्प्रदाय की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। खुदाई से प्राप्त चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा संभवतः दूसरी सदी की हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार क स्तम्भ में गंगा–यमुना और शिव–पार्वती विवाह के प्रसंग उत्कीर्ण हैं। इसकी आधारीय सतह पर तराशे गये युद्धरत हाथियों का चित्रण बाहरी दीवारों तक किया गया हैं। यहां से प्राप्त अनेक भग्नावशेष ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के हैं।

प्राचार्य की कलम से ....

ईश्वर से सृष्टि की रचना की और मनुष्य इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना हैं, ईश्वर ने हमें सोचने एवं समझने की शक्ति प्रदान की है। यह हम पर निर्भर है कि इस शक्ति का प्रयोग हम किस तरह करते है। जीवन में सफल होने एवं निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये समय की पाबंदी एवं संयम का होना आवश्यक है। अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है।

आपके उज्जवल भविष्य के लिये एवं आपके शैक्षणिक स्तर को उच्च से उच्चतर बनाने हेतु हमारा महाविद्यालय परिवार आपकी हर संभव मदद हेतु प्रस्तुत है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के रूप में आप सेवाभावी आदर्श नागरिक बनकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। रेडक्रास के सहयोगी बनकर जल कल्यार्थ वैश्विक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं भाषण, लेखन आदि के द्वारा आप अपनी प्रतिभा को उंचा करने का सतत् प्रयास कर सकते हैं।

स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस हेतु महाविद्यालय में शारीरिक व्यायाम के लिये जिम खाना एवं अन्य खेल गतिविधियाँ संचालित हैं।

अध्ययन, मनन धारण, लेखन सब आपको करना है। हम पुस्तकें, समाचार, पत्र पत्रिकायें प्रायोगिक सुविधायें, खेलकूद सामग्री एवं अध्यापन की उत्तम व्यवस्था द्वारा हर संभव मदद करेंगे। हम चाहते है कि छात्र अनुशासन लगन एवं अध्ययन के साथ शैक्षेणेत्तर गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जनभागीदारी समिति के सुयोग्य सहयोग से महाविद्यालय को समृद्ध एवं विकासवान बनाने का प्रयास करेंगे।

महाविद्यालय में अ.ज.जा एवं पिछड़े वर्ग हेतु शासन द्वारा देय छात्र–वृत्तियों भी है। स्वाध्यायी छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक सुविधायें यहॉ अल्प राशि में उपलब्ध हैं। महाविद्यालय स्तर पर बनी समितियों आपकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ महाविद्यालय में स्वगत करते हैं।

डॉ. (श्रीमती) एस.एम.तिमोथी
प्राचार्य

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर
पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय

1. बी.ए. प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

अ.	अनिवार्य विषय	–	आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
ब.	पर्यावरण विज्ञान	–	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु
स.	ऐच्छिक विषय	–	निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें।

वि.वि. द्वारा परिवर्तन संभावित हैं।

1. समाज शास्त्र	2. अर्थशास्त्र
3. राजनीति शास्त्र	4. हिन्दी साहित्य
5. अंग्रेजी साहित्य	6. भूगोल

बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षो के लिये विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2. बी.ए द्वितीय का पाठ्यक्रम –

बी.ए. पूर्व में हीं विषय लेने होंगे, जो बी.ए.प्रारंभिक में लिये गये थे।

3. बी.ए. तृतीय का पाठ्यक्रम –

बी.ए. तृतीय में वे ही विषय होंगे जो बी.ए.पूर्व में लिये गये हो एवं महाविद्यालय के विषय समूह के अंतर्ग हो।

3. स्नातकोत्तर कक्षाएं (एम.ए)

कला निकाय के निम्नलिखित विषयों के स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है –

1. राजनीति शास्त्र	2. समाज शास्त्र	3. भूगोल

4. स्ववित्तीय मद थे –

1. डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए	2. एम.ए.हिन्दी.	3. एम.ए.अर्थशास्त्र

विज्ञान संकाय
प्राणीशास्त्र

1. बी.एस.सी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

अ.	अनिवार्य विषय	–	आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब.	पर्यावरण विज्ञान	–	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु
स.	ऐच्छिक विषय	–	निम्नांकित विषयों समूहों में से कोई एक समूह – जीव विज्ञान – प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र गणित – भौतिक शास्त्र गणित एवं रसायन शास्त्र

2. बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष –

बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में लिये गये विषय ही लेने होंगे।

3. बी.एस.सी. तृतीय वर्ष –

बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष में लिये गये विषय ही लेने होंगे।

वाणिज्य संकाय

1. बी. काम प्रथम वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय	–	आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब. पर्यावरण विज्ञान	–	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु
स. अनिवार्य समूह	–	1. वित्तीय लेखांकन एवं व्यायसायिक गणित
		2. व्यावसायिक संचार एवं व्यावसायिक नियन रूप रेखा
		3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

2. बी.काम. द्वितीय वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय	–	आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब. अनिवार्य समूह	–	1. निगमित लेख एवं लागत लेखांकन
		2. व्यावसायिक सांख्यिकी एवं उद्यमिता के मूलतत्व
		3. व्यवसाय प्रबंध एवं कंपनी अधिनिमय

3. बी.काम. तृतीय वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय	–	आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब. अनिवार्य समूह	–	वैकल्पिक
1. आयकर (प्रत्यक्ष कर)		1. वित्तीय प्रबंध
2. अप्रत्यक्ष कर		2. वित्तीय बाजार संचालन
3. प्रबंधकीय लेखंकर		
4. अंकेक्षण		

अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियां

1. क्रीड़ा विभाग

श्री मुकेश बिहारी घोरे	–	क्रीड़ा अधिकारी

2. राष्ट्रीय सेवा योजना

श्री बी. एस. राज	–	कार्यक्रम अधिकारी

3. एन.सी.सी.

श्रीमती नीता जौहार	–	केयर टेकर

4. युवा रेडक्रास

श्री. डी.के.सिंह	–	प्रभारी प्राध्यापक

5. कौशल विभाग योजना –

डॉ. सुजाता सैमुअल	–	प्रभारी प्राध्यापक

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत 2013–14
(2016–17 के लिये शासन द्वारा प्रवेश नियमों में जो संशोधन किया जायेगा वह लागू होगा)

1. प्रयुक्ति –

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से हैं।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिये प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जावेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी जायेगी। प्रवेश बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वंय तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश का अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित न होने की तिथि 15 दिन तक, जो भी पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावे, किन्तु इसके लिये कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब यह प्रवेश लेना चाहता है कि, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहां इसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता

2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करनाः–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मुल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुर्नमूल्याकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोगी हेतु योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा '' उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करे।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौन्सिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनसार अधिमतम 80 विद्याथियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। संबंद्ध विश्वविद्यालय/स्वशायी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया हैं। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्हीं निर्धातिर विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुय, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची,प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने वाले एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया '' की मोहर लगाकर उसे रदद् करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश शुल्क विलंब शुल्क 100/– रूपये अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा तथापित ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटतम पुलिस थाने मे एफ.आई.आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र का अनुक्रंमाक एवं दिनाकं का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्याालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपीनय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया हैं।

4.7 छत्तीसगढ़ शाासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रंमाक 2563/2014/38–1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार '' राज्य शासन, एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है '' का पालन किया जाये।

5. प्रवेश की पात्रता –

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमि. कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वद्यिालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

5.2 स्नातकोत्तर स्तर, नियमित प्रवेश :

(क) बी.कॉम/बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. कॉम/एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी/एम.ए पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms)

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदको का प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर मे ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय, नियमित प्रवेश –

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी परीक्षा की यहीं प्रकिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTC/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNSIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन कर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीखा –

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई) , इण्डियन कॉसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इन्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षायें मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनबीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framwork) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलो के लिये अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रंमाक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार–

'' जैसा कि आपको ज्ञात है कि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया हैं।

जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गाय है यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोडों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दााखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमो में दाखिलो के लिये प्रयास किये जा रहे हों तो उन छात्रो के क्षैतिजिक गत्यात्यकता के लिये सुअवसर मिल सके।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश –

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए/बी.कॉम/बी.एस.सी/बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वाशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जावे।

7.2 छ.ग. से बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालयें से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय,तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य हैं।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता –

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा–

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में एक पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेन्ट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थयी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में निर्धारित एग्रीमेट 48प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थयीं प्रवेश, नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हतायें–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी भी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओ को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे यह प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने का गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 महाविद्यालय में तोड–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओ को प्राचार्य प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिये अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवायें एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जावे। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का बन्धन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों , भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष में अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड.) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/निःशक्त अभ्यर्थी/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसके दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण –

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिकार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम की सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता –

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 प्रतिशत एग्रीमेंट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या उसके आसपास के अन्य जिले के सर्मीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुये उस विषय/विषय समूह के प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुये प्रवेश दिया जावे। आवेदकों के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आस–पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आनेपर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण –

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों को आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् –

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गो के लिय आरक्षित रहेगीं।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जातीं तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी, परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशष वर्गो के संबंध में क्षतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधियूचित किया जाये तथा यह बिन्दु क्र 12.1 के खण्ड(क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंग। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अंको को अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगीं, परन्तु यदि ऐसी विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जावेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू –कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाये तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतय लिंक के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रंमाक डब्ल्यू. पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – " We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions ans for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाये।

13. अधिभार –

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु उसका उपयोग नहीं किया जाये। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्माधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस/स्काउट्स –

स्काउद्स शब्द को स्काउट्स/गाइडस/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ मे पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट	–	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	–	03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	–	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	–	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतन्त्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी/एन.एस.एस कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्याथियों को	–	05 प्रतिशत
(छ)	राल्यपाल स्काउट्स	–	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	–	10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	–	10 प्रतिशत
(य)	डयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	–	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोगाम भाग लेने वाले कैडेट एन.सी.सी/एन.एस.एस. के लिये चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित करने वाल विद्यार्थी को	–	10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर – 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज रूपांकन प्रतियोगितायें–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अन्तर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 04 प्रतिशत

(2) उर्पयुक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में–

(क) प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सककार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में–

क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	–	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	–	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	–	10 प्रतिशत

13.4	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यक, कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	–	10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(क) छ.ग./म.प्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को	–	10 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम	–	12 प्रतिशत

13.6	जम्मू –कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को	–	01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन –

छत्तीसगढ़ राज्य महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी/खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी. सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जावे, जिनकी उन्हें पात्रता हैं कि–

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिये उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगें।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रंमाक निर्धारित किया जायेगा।। अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी। जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र –

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोइ्र शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाणपत्र पर प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हाने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते है, जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध छात्र का शोध प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष–

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानी वश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जोने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीपह या अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकारण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तत /संशोधन/निरसन/संलग्न करने का पूर्ण अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

टीपः– शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

टीप – शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

शिक्षण संस्था की विवरणिका

प्रवेश तिथि :–

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र–छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिये उपस्थित होना अनिवार्य हैं। प्रवेश समिति द्वारा छात्रों की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र–छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा।

प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्र/छात्रा को 24 घंटे के भीतर अथवा निर्दिष्ट समय में प्रवेश शुल्क देना होगा।

प्रवेश पात्रता :–

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र–छात्रा प्रवेश पा सकेंगे–

1. बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–1
   माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12 वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–2
   क. बी.ए. बी.काम एव बी.एस.सी. भाग–1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3. बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–3
   क. बी.ए. बी.काम एव बी.एस.सी. भाग–2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
4. एम.ए.पूर्व
   क. विश्वविद्यालय की बी.ए. बी.काम एव बी.एस.सी. भाग–3 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
5. एम.ए.अंतिम
   क. विश्वविद्यालय की एम.ए पूर्व की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

प्रवेश नियम (Admission Rules) :–

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य हैं।
2. आवेदन पत्र के साथ निम्नालिखित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।
   (1) स्थानांतरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate)
   (2) अंकसूची (अंतिम परीक्षा दो प्रतियों) में अभिप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि/फोटो स्टेट कापी।

(3) चरित्र प्रमाण (Character Certificate) नियमित छात्रों को पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित चरित पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिये किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।

(4) प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) मूल प्रति बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिये।

(5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) पासपोर्ट आकार के दो चित्र।

(7) जाति प्रमाण पत्र, केवल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।

(8) जन्मतिथि प्रमाण पत्र, इसके लिये उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी।

नोट :–

1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेष सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जावेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जावेगी।

3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।

4. छात्र का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिये अपात्र घोषित कर सकते हैं।

5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा। महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दें।

6. जिस छात्र को प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिये।

7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिये, जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंक सूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र/छात्रा को 5/– रु. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ–पत्र (Affidavit) देकर नत्थी करना होगा।

8. छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शायें स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।

प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत :–

1. महाविद्यालय के प्रवेश की अधिकतम संख्या स्थानादि सुविधा क आधार पर निर्धारित की जावेगी।

2. प्रवेश गुणानुक्रम के अनुसार दिया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये स्थान आरक्षित होंगे।

3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक सुवितायें मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिये हैं।

4. महाविद्यालय प्रवेश में एक विशेषाधिकार है जिसे निष्ठापूर्वक कार्य एवं सदाचार अर्जित किया जाना चाहिये।

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी खुले द्वारा की नीति समाप्त कर दी गई हैं। उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्तर पर प्रवेश निर्धारित किया जाता हैं।

प्रवेश सीमा : (सीटों की संख्या)

(स्नातक स्तर)

बी.ए.भाग – एक	–	120	बी.एस.सी (बायोलाजी)	–	40
बी.ए.भाग – दो	–	120	भाग– 1,2 एवं 3		
बी.ए.भाग – एक	–	120	बी.एस.सी (गणित)	–	40
बी.काम.भाग– 1	–	60			
बी.काम.भाग– 2	–	60			
बी.काम.भाग– 3	–	60			

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

डी.सी.ए	–	40
पी.जी.डी.सी.ए	–	40

(स्नातकोत्तर स्तर)

		पूर्व	अंतिम
राजनीति शास्त्र	–	20	20
समाज शास्त्र	–	20	20
भूगोल	–	20	20
हिन्दी साहित्य	–	25	25
अर्थशास्त्र	–	20	20

शुल्क विनियम :–

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।

2. एक बाद किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क देना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश लें महाविद्यालय छोड़ दें।

3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।

4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिये। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।

5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालय शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोडने हेतु नियम :–

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।

(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

(द) महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।

(च) निःशेष प्रमाण–पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र या आचरण प्रमाण– पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/– रूपये जमा करना होगा।

(ज) समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जावेगी।

विश्वविद्यालय नामांन : (नवीन छात्रों हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भरकर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र/छात्राओं का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय अवधि में भरना होगा।

महाविद्यालय संबंधी अन्य जानकारियां

ग्रंथालय विभाग :

महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रन्थालय है। ग्रन्थालय में विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकायें एवं शोध, जर्नल्स मंगाये जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने की बुक बैंक योजना कार्यान्वित की जाती हैं, जिसके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को सत्रान्त तक छात्रों के बीच एक सेट पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं जिन्हें परीक्षा उपरान्त वापस लिया जाता है। सामान्य छात्र/छात्राओं को नियमानुसार ग्रन्थालय से पुस्तकें प्रदान की जाती है।

1. पुस्तकालय से पुस्तकों का निर्गमन तथा वापस लेना ग्रन्थालय के नियंत्रण में रहता है, जिसके लिये उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। नियमोल्लंघन करने पर छात्र दण्डित होंगे।
2. ग्रन्थालय में विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं के गठन की सुविधा हैं।
3. ग्रंथालय में महाविद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं को 15 दिनों के लिये दो पुस्तकें निर्गमित की जावेगी।
4. ग्रंथालय से ली गई पुस्तक यदि 15 दिनों के बाद लौटाई गई तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन 1/– के हिसाब से अर्थदण्ड देय होगा। जिसका भुगतान शिक्षण शुल्क की किश्त के साथ अनिवार्य रूप से करना होगा।

शुल्क मुक्ति एवं अन्य सुविधायें :

छत्तीसगढ शासन द्वारा अन्य नियमों के अनुसार छात्रों की शुल्क आदि में निम्नलिखित सुविधायें भी जाती है, जिसे नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालय में लागू किया गया है।

1. कृषक के पुत्र/पुत्रियों को सुविधा –

निम्न आय वाले कृषक के पुत्र/पुत्रियों को अध्ययन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जाती है, यह सुविधा केवल उन्हीं कृषकों के पुत्र/पुत्रियों को उपलब्ध हो सकती है जो 500/– से अधिक मालगुजारी न देते हों। ऐसी सुविधा प्राप्त करने से इच्छुक छात्र अपना आवेदन पत्र निम्नांकित प्रमाण पत्रों के साथ प्राचार्य के पास प्रस्तुत करें।

2. भातृ/भागिनी सुविधा –

यदि महाविद्यालय में दो या अधिक भाई/बहिन नियमित छात्र हो तो बड़े को पूर्ण शुल्क देना होगा। इसके लिये छात्र प्रवेश के तुरंत बाद आवेदन करें।

3. शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये सुविधा–

(अ) शासकीय कर्मचारियों के पृत्र/पुत्रियों की सुविधा/चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा सभी वर्ग के मृत कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर तक माफ रहेगा। माता–पिता का सेवा प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

(ब) 1800/– रूपये तक वेतन प्राप्त करने वाले द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति मिलती हैं।

1. ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रपत्र भरकर माता/पिता के विभागीय प्रमुख के प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश के समय प्रस्तुत करना चाहिये
2. यह सुविधा किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को नहीं मिलती परंतु उत्तीर्ण हो जाने पर दूसरी कक्षा में पुनः प्राप्त हो सकती हैं।
3. स्दाचार नियमित उपस्थिति एवं संतोषजनक प्रगति के आधार पर ही सुचिधा चालू रहेगी। हड़ताल एवं अन्य विध्वंसक कार्यो में भाग लेने वाले छात्रों से यह सुविधा वापस ले ली जावेगी।

4. छात्र सहायता निधि –

योग्य तथा निर्धन छात्रों सहायता निधि से पुस्तक आदि क्रय करने के लिये सहायता दी जाती है।

उपस्थिति :

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय/एन.एस.एस. में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में वह विश्वविद्यालय परीक्षाओं से वंचित हो सकता हैं।

समय–समय पर उपस्थिति के आंकड़ो की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। तत्संबंधी जानकारी उन्हें प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क साधकर प्राप्त करते रहना चाहिये। उपस्थिति में कर्मी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थी या उनके पालकों को सूचना देने के लिये उत्तरदायित्व नहीं है।

जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 15 नवंबर तक 60 प्रतिशत से कम होगी, उनके परीक्षा के आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जावेंगे।

महाविद्यालयीन परीक्षाएं :

विद्यार्थियों को कक्षा में ली जाने वाली अतिरिक्त परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य हैं। प्राचार्य के पूर्व अनुमति के बिना परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्कक कार्यवाही की जावेगी।

संस्था में उपलब्ध खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी :

महाविद्यालय में प्रशिक्षित क्रीड़ाधिकारी के निर्देशन में विभिन्न खेलों की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख रूप से बास्केटबाल, फुटबाल, व्हालीबाल, क्रिकेट, कबड्डी, बैड़मिंटन, खो–खो, एथलेटिक्स, शतरंज, कैरम, वेट लिफ्टींग, कुश्ती आदि खेल प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में संपन्न कराये जाते हैं। इसमें महाविद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ी विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर में अपनी प्रतिभा का और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। छात्रों के शारीरिक विकास हेतु सर्व सुविधायुक्त आधुनिक जिम खाना स्थापित है।

विद्यार्थी सहायता कोष :

यू.जी.सी द्वारा बनाये गये नियमों और निर्देशों के अनुसार इस कोष की स्थापना की गई हैं। इसका उद्देश्य निर्धन तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक आदि के रूप लघु आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देना हैं।

सायकल स्टेण्ड :

महाविद्यालय में सायकल स्टेण्ड की व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यार्थियों से पूरे सत्र के लिये 75/– रूपये स्टेण्ड के रख–रखाव हेतु लिया जाता है। सभी सायकल स्टेण्ड पर ही रखीं जायेगी। कोई भी विद्यार्थी बरामदा या कमरों पोर्च आदि में सायकल रखने पर दण्ड का भागी होगा। अन्यत्र सायकल रखने पर अगर गुम होतीं है तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।

अनुशासन व्यवस्था एवं प्राक्टोरियल बोर्ड :

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के मामलों की जांच एवं निर्णय के लिये एक प्राक्टोरियल बोर्ड रहेगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस) :

महाविद्यालय में एन.एस.एस की संयुक्त 100 स्वंय सेवकों की इकाई कार्यरत है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शहरी बस्तियां और ग्रामों में समाज सेवा के कार्य करने होते हैं। 240 घण्टे की सेवा करने पर विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र मिलता है। समाज सेवा के अंतर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत, प्राथमिकता उपचार आदि कार्य करने होते है। वार्षिक शिविर भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उपस्थित अनिवार्य है।

रेडक्रास सोसायटी :

महाविद्यालय में एक पुरूष और एक महिला इकाई कार्यरत है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सेवा के कार्य का प्रशिक्षण उपचार की जानकारी, रक्त वर्ग परीक्षण, रक्तदान हेतु प्रोत्साहन दिया जाता हैं।

बुक बैंक :

यू.जी.सी एवं शासन की सहायता से निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक का गठन किया गया है, जिससे विद्याथियों को संपूर्ण सत्र के लिये पुस्तके दी जाती है।

नोट :– ऐसे छात्र जो बुक बैंक पुस्तकें लेने की पात्रता रखता है विवरणिका में संलग्न फार्म भरकर पुस्तकालय अधिकारी को पर्याप्त प्रमाण सहित देंगे। पुस्तकालय के उपयोग के लिये परिचय पत्र लाना आवश्यक है। जुलाई माह में फीस कार्ड और प्रवेश कार्ड भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

कौशल उन्नयन योजना :

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी में छात्रहित को ध्यान में रखकर कौशल उन्नयन योजना (National University Students skill Development [NUSSD] Programe) आरंभ किया गया है, जिसका एम.ओ.यू. हो चूका है जिसके अंतर्गत छात्र/छात्राओं को अध्ययन के साथ–साथ स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इसके साथ ही विगत वर्ष से आई.टी.आई. कोनी के प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न रोजगारन्मुख कार्यक्रम आरंभ किया जा चुका है।

एन.सी.सी (N.C.C)

महाविद्यालय में NCC अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 7 वीं बटालियन, बिलासपुर द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2015 को की गई जिसमें सीनियर डिवीजन एवं विंक SD/SW (छात्र/छात्रा) प्रभाग का गठन हुआ। यह एक अंतर्सेवी संगठन है जिसका उद्देश्य युवाओं में चरित्र, साहपर्थ, अनुशासन, समर्पण, नेतृत्व, धर्म निरपेक्ष, निस्वार्थ सेवा एवं नैतिक मूल्यों का संचार करना है। यह संगठित, प्रशिक्षित एवं प्रेरित युवाओं का मानव संसाधन तैयार करता है, जो भविष्य में सशस्त्र सेना को अपनी जिविका बना देश की सेवा के लिये सदैव तैयार रहे। NCC का ध्येय ‘‘ एकता और अनुशासन ’’ है जो हमें समय पाबन्द, कठोर परिश्रमी ईमानदारी एवं मुस्कराते हुये आज्ञा पालन करना सिखाती है। NCC में नामाकंन हेतु आयु 18 से 21 वर्ष रखी गई हैं। पंजीकृत छात्र/छात्रा 3 वर्ष में क्रमशः A,B,C सर्टिफिकेट की परीक्षा देगा एवं उत्तीर्ण होने पर विभिन्न रोजगार में प्रोत्साहन अंक एवं छात्रवृत्ति की योग्यतानुसार हकदार बनेगा।

नोट – नामांकन हेतु इच्छुक छात्र/छात्रा संबंधित विभाग में संपर्क करेंगें।

परिचय पत्र (Identity Card) :

1. परिचय पत्र महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा। ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी छात्र/छात्रा को प्राप्त हो सके।
3. परिचय पत्र सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्र/छात्रा का कर्तव्य हैं।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।
7. परिचय पत्र के खो जाने पर 10/– रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। परन्तु नया परिचय पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विधार्थियों के लिये
आचरण – संहिता

सामान्य नियम–

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विधाथियों को महाविद्यालय के निमयों का पालन करना होगा इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा

1. विधार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिये।
2. प्रत्येक विधार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विधार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विधार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वहन करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदाथों का सेवन सर्वधा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गन्दी बातें लिखना सख्त मना हैं। विधार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विधार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम–

1. प्रत्येक विषय में विधार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी/एन.एस.एस में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़–फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम–

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
2. अस्वस्थतावश आन्तरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र –

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त्कर दिया जावेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिरोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपया जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सका हैं।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. म्हाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदने पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिये विशेष परिनियम :–

1. यह विशेष परिनियम विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर से रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा हैं।

2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा।

3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होग–
    1. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना।
    2. मनसिक आघात जैसे मानसिक क्लैश पहुंचना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना आदि।
    3. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना।
    4. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना, चिल्लाना आदि।

4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभाषक या कोई नागरिक अपनी शिकयत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालय में गठित प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे। इस बोर्ड में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप मे प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनित किये जायेंगे। इस हेतु प्रॉक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहुत की जायेगी। यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगे।

5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को देगा।

6. प्रॉक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दण्ड दिया जा सकेगा।
    1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासना
    2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।
    3. दोष छात्र को दण्ड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबंधित होगा।
    4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।
    5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
    6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा। इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करना आवश्यक होगा।

अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रंमाक 83/98, बिलासपुर दिनांक 12.11.1998

प्रतिलिपि–

समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण एवं प्राचार्य, समस्त संबंद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ तथा इस आशय के साथ कि पूर्व में जारी अधिसूचना पृष्ठ क्रंमाक 49/98, बिलासपुर दिनांक 25.07.1998 को मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रंमाक 1343/98सी–3/98 दिनांक 25.04.1998 के परिप्रेक्ष्य में निरस्त माना जाये।

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिबंध अधिनियम :

राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और अनुसांगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियत –

परिभाषा –

क. रैगिंग से आम प्रवाह किसी छात्र का मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित बाध्य या अभदर्शित होता हो या किन्हीं विधि पूर्ण कार्य करने से प्रचरित करना, आपराधिक, दोषपूर्ण परिरोध या उसे पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोष पूर्ण अवरोध , दोष पूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

ख. ‘‘ शैक्षणिक संस्था’’ से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।

रैगिंग का प्रतिषेध :–

1. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

2. यदि कोई व्यक्ति धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो कि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माना से जो 5 हजार रूपये से अधिक से अधिक नहीं होगी या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

3. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. (अ) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

   (ब) इस अधिनियम उपबंधे के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच एवं विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

---

1. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था में प्रधान को छात्र के निष्कासन के अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्णित करने का अधिकार होगा।

2. किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा–4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था को निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

3. ऐसा छात्र जहो निष्कासित किया गया हो अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधनी सिद्ध दोष पाया गया हो , किसी अन्य शैक्षणिम संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रंमाक सी/455/21–अ (प्रारूपण)/2002– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्रं 27 सन् 2001) का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अतिरिक्त सचिव

शुल्क विवरण

कार्यालय प्राचार्य शासकीय पातालश्वर महाविद्यालय मस्तूरी , जिला–बिलासपुर छ.ग.

शुल्क विवरण सत्र 2016–17

क्रं.	मद	बी.ए. भाग–1	बी.ए. भाग–2	बी.ए. भाग–3	बी.एस.सी. –1	बी.एस.सी. –2	बी.एस.सी. –3	बी.काम. –1	बी.काम–2	बी.काम–3	एम.ए.पूर्व	एम.ए. पूव भूगोल	एम.ए. अंतिम	एम.ए. अंतिम	एम.ए. पूर्व हि. व अ.शा.	एम.ए. अंतिम हि. व अ.शा.	डी.सी.ए.	पी.जी.डी. सी.ए.	जनभागी दारी समिति	शासकीय	
					अशासकीय															UG	PG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	अवधान राशि	100	0	0	100	0	0	60	0	0	100	200	0	0	100	0	100	200	0	0	0
2	वि.वि.छा.क.शु.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0
3	परिचय पत्र शु.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0
4	निर्धन छात्र शु.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0
5	सायकल स्टैंड	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0
6	चिकित्सा शु.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
7	पत्रिका शु.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0
8	नामांकन शु.	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
9	शा.क.शु.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0
10	वि.वि.छा.क.शु.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
11	छात्र क.शु.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
12	सुरक्षा बीमा यो..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	छात्र का.रूम.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0
14	महा.विकास शु.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0
15	सम्मिलित निधि	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0
16	सोशल गेदरिंग	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
17	युवा गतिविधि	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
18	रेडक्रास सोसा.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0
19	मूल्यांकन शु.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
20	शिक्षण शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	135
21	पुन : प्रवेश शु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
22	लेखन सामग्री	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
23	प्रयोगशाला शु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
24	टी.सी.शु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
25	जन. स.शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0
26	स्वतीय योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	10000	12000	0	0	0
27	पर्यावरण शुल्क	15	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**947**	**732**	**732**	**947**	**732**	**732**	**907**	**732**	**732**	**832**	**932**	**732**	**732**	**3832**	**3732**	**10932**	**13032**	**400**	**144**	**164**

महाविद्यालय स्टाफ की सूची

प्राचार्य

डॉ. (श्रीमती) एस.एम.तिमोथी

कला संकाय

हिन्दी विभाग : स्नातकोत्तर एवं शोध केन्द्र

1.	डॉ. राजेश चतुर्वेदी	–	प्राध्यापक

अंग्रेजी विभाग :

1.	श्रीमती नीता जौहर	–	सहायक प्राध्यापक

राजनीति शास्त्र विभाग :

1.	डॉ. (श्रीमती) सुजाता सेमुअल	–	सहायक प्राध्यापक
2.	श्रीमती कान्ति अंचल	–	सहायक प्राध्यापक

अर्थशास्त्र विभाग :

1.	श्री बी.आर. खूंटे	–	सहायक प्राध्यापक

समाज शास्त्र विभाग : स्नातकोत्तरएवं शोध केन्द्र

1.	डॉ (श्रीमती) दुर्गा बाजपेयी	–	सहायक प्राध्यापक
2.	श्री बी.एल. मंडलोई	–	सहायक प्राध्यापक

भूगोल विभाग :

1.	श्री जे.एस. पैकरा	–	सहायक प्राध्यापक
2.	डॉ के.आर मतावले	–	सहायक प्राध्यापक

विज्ञान संकाय

1.	डॉ. डी.आर.साहू	–	प्राध्यापक (गणित)
2.	श्री. एल.के.निराला	–	सहायक प्राध्यापक (भौतिक शास्त्र)
3.	श्री.बी.एस.राज	–	सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र)
4.	श्री नवीन रेलवानी	–	सहायक प्राध्यापक(वनस्पति शास्त्र)
5.	डॉ किरण ठाकुर	–	सहायक प्राध्यापक(रसायन शास्त्र)

वाणिज्य संकाय

1.	डॉ डी.के. सिंह	–	सहायक प्राध्यापक

अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियां

1.	श्री मुकेश बिहारी घोरे	–	क्रीड़ा अधिकारी

गंथालय

1.	....	–	रिक्त

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)

कर्मचारियों की सूची

1.	श्री डी.के शुक्ला	–	सहा.ग्रेड–1
2.	श्री एम.आर कुर्रे	–	सहा.ग्रेड–1
3.	श्री ए.आर. भोंसले	–	सहा.ग्रेड–1
4.	श्री अनिल शर्मा	–	प्रयो. तकनीशियन
5.	श्री भूपेन्द्र सर्वे	–	प्रयो. तकनीशियन
6.	श्री सुनील कुमार यादव	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
7.	श्री एस.आर. पालके	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
8.	श्री बृजेश कोरी	–	प्रयोगशाला परिचालक
9.	श्री मुकेश नायक	–	प्रयोगशाला परिचालक
10.	श्री रोशन शेर	–	प्रयोगशाला परिचालक
11.	श्री प्रदीप खूंटे	–	प्रयोगशाला परिचालक
12.	कु. सुकन्या श्रीवास	–	प्रयोगशाला परिचालक
13.	श्री रामस्वरूप कैवर्त	–	बुक लिफटर
14.	श्रीमती कौशिल्या	–	स्वीपर
15.	श्री मनसाय मिरी	–	चौकीदार

हुनर से तरक्की तक
मोबाइल | आई. टी. | ब्यूटी और वैलनेस | टेलीकॉम | रीटेल | कन्स्ट्रक्शन | इलेक्ट्रॉनिक्स
ट्रेनिंग की जानकारी के लिए कॉल करें
51,28,797
प्रशिक्षित

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय
मस्तूरी, जिला : बिलासपुर (छ.ग.)
राष्ट्रीय सेवा योजना
सदभावना दिवस
पर आपका हार्दिक अभिनंदन है...

NATIONAL CADET CORPS
7 CG BN. NCC BILASPUR
GOVT. PATALESHWAR COLLEGE
MASTURI DIST. BILASPUR
GROOMING TOMORROWS LEADERS
JOIN NCC FOR BETTER FUTURE

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश विवरणिका

सत्र - 2017-18

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रायोजित
दिनांक : 02 दिसम्बर, 2015
राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी
"पर्यावरणीय मुद्दे"
प्राणीशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित
राष्ट्रीय कार्यशाला
"छत्तीसगढ़ सेश्रमिकों का पलायन : समस्यायें एंव निदान"
समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित
संयोजक

GOVT PATALESHWAR COLLEGE MASTURI
शासकीय पातालेश्वर
मस्तूरी, जिला – बिलासपुर

GOVT. PATALESHWAR COLLEGE MASTURI
DIST-BILASPUR

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला – बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड : 49551

Website – www.gpemasturi.com

प्रवेश विवरणिका

सत्र – 2017–18

आवेदन पत्र भरने से पूर्ण विवरणिका को ध्यान से पढे।

आवेदन फार्म में अपना संपर्क नं. अवश्य लिखें

महाविद्यालय का परिचय

बिलासपुर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर विकासखण्ड मुख्यालय, मस्तूरी में महाविद्यालय की स्थापना तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन के पूर्व शिक्षामंत्री माननीय स्व. श्री बंशीलाल धृतलहरे जी के अथक प्रयासों से सन् 16/19 अगस्त 1988 को की गई। स्थापना काल से सन् 30.10.2000 तक महाविद्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मस्तूरी में प्रातः कालीन पाली में संचालित होता रहा। छत्तीसगढ राज्य स्थापना 01 नवंबर 2000 से महाविद्यालय, शासन द्वारा प्रदत्त कोसमडीह रोड मस्तूरी में 15 एकड़ भूमि आबंटित की गई है, जिसमें सासंद/ विधायक मद, जनभागीदारी समिति कोष द्वारा निर्मित कक्ष एवं सभा भवन तथा यू.जी.सी अनुदान द्वारा निर्मित पुस्तकालय भवन में कला संकाय के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर का अध्यापन कार्य संचालित हो रहा है।

2006–07 में क्षेत्रीय विधायक एवं माननीय पूर्व उच्च शिक्षामंत्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, छत्तीसगढ शासन के अथक प्रयासों से महाविद्यालय के नवीन भवन का प्रस्ताव पारित हुआ, तदनुसार लगभग 76.59 लाख रूपये की लागत से महाविद्यालय भवन लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर द्वारा निर्मित कराया गया है। जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, छत्तीसगढ शासन द्वारा विकास यात्रा के दौरान दिनांक 13 जून 2008 को किया गया।

सत्र 2008–09 में महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ हुआ हैं। अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखण्ड मस्तूरी में स्थापित महाविद्यालय स्थापना काल से आज पर्यन्त अध्ययन, अध्यापन, पुस्तकालय, क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना, भौतिक संसाधन के माध्यम से भावी नागरिकों का सर्वागीण विकास कर रहा है।

महाविद्यालय जब प्रारंभ हुआ था उस समय छात्रों की संख्या 07 थी। महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। महाविद्यालय में परीक्षाफल अच्छा रहता है। महाविद्यालय के छात्र–छात्रायें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवायें दे रहे हैं।

पातालेश्वर जी का संक्षिप्त इतिहास

बिलासपुर से 30 एवं मस्तूरी से 13 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण– पश्चिम में स्थित मल्हार दक्षिण कोसल की यह ऐतिहासिक एवं पावन नगर कल्चुरी कालीन मंदिरों के लिये प्रसिद्ध हैं। मल्हार में कल्चुरी कालीन (900 ई. से 1300 ई.) पातालेश्वर मंदिर स्थित है। भूमिज शैली के बने इस मंदिर की आधार पीठिका 108 कोणों वाली है। मंदिर के मण्डप का चबूतरा भूमि से लगभग 6 फुट उंचा हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार एवं बाह्य– आंतरिक भागों में विभिन्न देवी –देवताओं की प्रतिमाएं अंकित है। पातालेश्वर जी का गर्भगृह एक तलघर की तरह है नीचे पहुंचने के लिये कुछ सीढ़िया उतरनी पड़ती है। गर्भगृह में भगवान शिव की विलक्षण प्रतिमा गोमुखी आकार–प्रकार के सुंदरी काले चमकदार पत्थर वाली जलहरी के मध्य त्रिकोणाकृत में अवस्थित है, इस मूर्ति में जितना भी जल चढाया जाये अंदर समाहित हो जाता है। एक विशेष प्रकोष्ठ में अवस्थित शिवलिंग पातालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं।

कल्चुरियों के शासन में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात था। हाल में खुदाई के दौरान पाये गये पुरावशेषों में वर्तमान में यह पुरातात्विक महत्व स्थल बन गया हैं। इस क्षेत्र में खुदाई के दौरान देउर डिंडेश्वरी, पातालेश्वर, चतुर्भुजी विष्णु तथा अनेक बौद्ध और जैन सम्प्रदाय की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। खुदाई से प्राप्त चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा संभवतः दूसरी सदी की हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार क स्तम्भ में गंगा–यमुना और शिव–पार्वती विवाह के प्रसंग उत्कीर्ण हैं। इसकी आधारीय सतह पर तराशे गये युद्धरत हाथियों का चित्रण बाहरी दीवारों तक किया गया हैं। यहां से प्राप्त अनेक भग्नावशेष ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के हैं।

प्राचार्य की कलम से ....

ईश्वर से सृष्टि की रचना की और मनुष्य इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना हैं, ईश्वर ने हमें सोचने एवं समझने की शक्ति प्रदान की है। यह हम पर निर्भर है कि इस शक्ति का प्रयोग हम किस तरह करते है। जीवन में सफल होने एवं निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये समय की पाबंदी एवं संयम का होना आवश्यक है। अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है।

आपके उज्जवल भविष्य के लिये एवं आपके शैक्षणिक स्तर को उच्च से उच्चतर बनाने हेतु हमारा महाविद्यालय परिवार आपकी हर संभव मदद हेतु प्रस्तुत है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के रूप में आप सेवाभावी आदर्श नागरिक बनकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। रेडक्रास के सहयोगी बनकर जल कल्यार्थ वैश्विक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं भाषण, लेखन आदि के द्वारा आप अपनी प्रतिभा को उंचा करने का सतत् प्रयास कर सकते हैं।

स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस हेतु महाविद्यालय में शारीरिक व्यायाम के लिये जिम खाना एवं अन्य खेल गतिविधियाँ संचालित हैं।

अध्ययन, मनन धारण, लेखन सब आपको करना है। हम पुस्तकें, समाचार, पत्र पत्रिकायें प्रायोगिक सुविधायें, खेलकूद सामग्री एवं अध्यापन की उत्तम व्यवस्था द्वारा हर संभव मदद करेंगे। हम चाहते है कि छात्र अनुशासन लगन एवं अध्ययन के साथ शैक्षेणेत्तर गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जनभागीदारी समिति के सुयोग्य सहयोग से महाविद्यालय को समृद्ध एवं विकासवान बनाने का प्रयास करेंगे।

महाविद्यालय में अ.ज.जा एवं पिछड़े वर्ग हेतु शासन द्वारा देय छात्र–वृत्तियों भी है। स्वाध्यायी छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक सुविधायें यहॉ अल्प राशि में उपलब्ध हैं। महाविद्यालय स्तर पर बनी समितियों आपकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ महाविद्यालय में स्वगत करते हैं।

डॉ. (श्रीमती) एस.एम.तिमोथी

प्राचार्य

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर
पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय

1. बी.ए. प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. पर्यावरण विज्ञान – स्नातक प्रथम वर्ष हेतु

स. ऐच्छिक विषय – निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें। वि.वि. द्वारा परिवर्तन संभावित हैं।

1. समाज शास्त्र 2. अर्थशास्त्र
3. राजनीति शास्त्र 4. हिन्दी साहित्य
5. अंग्रेजी साहित्य 6. भूगोल

बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षो के लिये विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2. बी.ए द्वितीय का पाठ्यक्रम –

बी.ए. पूर्व में ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए.प्रारंभिक में लिये गये थे।

3. बी.ए. तृतीय का पाठ्यक्रम –

बी.ए. तृतीय में वे ही विषय होंगे जो बी.ए.पूर्व में लिये गये हो एवं महाविद्यालय के विषय समूह के अंतर्ग हो।

3. स्नातकोत्तर कक्षाएं (एम.ए)

कला निकाय के निम्नलिखित विषयों के स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है –

1. राजनीति शास्त्र 2. समाज शास्त्र 3. भूगोल

4. स्ववित्तीय मद थे –

1. डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए 2. एम.ए.हिन्दी. 3. एम.ए.अर्थशास्त्र

विज्ञान संकाय
प्राणीशास्त्र

1. बी.एस.सी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब. पर्यावरण विज्ञान – स्नातक प्रथम वर्ष हेतु
स. ऐच्छिक विषय – निम्नांकित विषयों समूहों में से कोई एक समूह –
जीव विज्ञान – प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र
गणित – भौतिक शास्त्र गणित एवं रसायन शास्त्र

2. बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष –

बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में लिये गये विषय ही लेने होंगे।

3. बी.एस.सी. तृतीय वर्ष –

बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष में लिये गये विषय ही लेने होंगे।

वाणिज्य संकाय

1. बी. काम प्रथम वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय – आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा

ब. पर्यावरण विज्ञान – स्नातक प्रथम वर्ष हेतु

स. अनिवार्य समूह –
1. वित्तीय लेखांकन एवं व्यायसायिक गणित
2. व्यावसायिक संचार एवं व्यावसायिक नियन रूप रेखा
3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

2. बी.काम. द्वितीय वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय – आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा

ब. अनिवार्य समूह –
1. निगमित लेख एवं लागत लेखांकन
2. व्यावसायिक सांख्यिकी एवं उद्यमिता के मूलतत्व
3. व्यवसाय प्रबंध एवं कंपनी अधिनिमय

3. बी.काम. तृतीय वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय – आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा

ब. अनिवार्य समूह –

1. आयकर (प्रत्यक्ष कर)
2. अप्रत्यक्ष कर
3. प्रबंधकीय लेखंकर
4. अंकेक्षण

वैकल्पिक

1. वित्तीय प्रबंध
2. वित्तीय बाजार संचालन

अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियां

1. क्रीड़ा विभाग

श्री मुकेश बिहारी घोरे – क्रीड़ा अधिकारी

2. राष्ट्रीय सेवा योजना

श्रीमती कांति अंचल – कार्यक्रम अधिकारी

3. एन.सी.सी.

श्रीमती नीता जौहार – केयर टेकर

4. युवा रेडक्रास

श्री. डी.के.सिंह – प्रभारी प्राध्यापक

5. कौशल विभाग योजना –

डॉ. सुजाता सैमुअल – प्रभारी प्राध्यापक

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत 2013–14
(2016–17 के लिये शासन द्वारा प्रवेश नियमों में जो संशोधन किया जायेगा वह लागू होगा)

1. **प्रयुक्ति –**

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से हैं।

2. **प्रवेश की तिथि :–**

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिये प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जावेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी जायेगी। प्रवेश बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वंय तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश का अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित न होने की तिथि 15 दिन तक, जो भी पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावे, किन्तु इसके लिये कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब यह प्रवेश लेना चाहता है कि, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहां इसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता

2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करनाः–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मुल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुर्नमूंल्याकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोगी हेतु योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा '' उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करे।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौन्सिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनसार अधिमतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। संबंद्ध विश्वविद्यालय/स्वशायी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया हैं। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्हीं निर्धातिर विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुय, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची,प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने वाले एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया '' की मोहर लगाकर उसे रदद् करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश शुल्क विलंब शुल्क 100/– रूपये अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा तथापित ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटतम पुलिस थाने मे एफ.आई.आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र का अनुक्रंमाक एवं दिनाकं का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपीनय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया हैं।

4.7 छत्तीसगढ़ शाासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रंमाक 2563/2014/38–1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार '' राज्य शासन, एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है '' का पालन किया जाये।

5. प्रवेश की पात्रता –

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमि. कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वधिालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

5.2 स्नातकोत्तर स्तर, नियमित प्रवेश :

(क) बी.कॉम/बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. कॉम/एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी/एम.ए पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms)

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदको का प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर मे ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय, नियमित प्रवेश –

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी परीक्षा की यही प्रकिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTC/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNSIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन कर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीखा –

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई) , इण्डियन कॉसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इन्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षायें मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनबीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framwork) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलो के लिये अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रंमाक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार–

‘‘ जैसा कि आपको ज्ञात है कि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया हैं।

जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गाय है यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोडों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमो में दाखिलो के लिये प्रयास किये जा रहे हों तो उन छात्रो के क्षैतिजिक गत्यात्यकता के लिये सुअवसर मिल सके।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश –

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए/बी.कॉम/बी.एस.सी/बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वाशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जावे।

7.2 छ.ग. से बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालयें से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय,तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य हैं।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता –

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा–

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में एक पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेन्ट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थयी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में निर्धारित एग्रीमेट 48प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थयी प्रवेश, नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हतायें–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी भी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओ को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे यह प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने का गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 महाविद्यालय में तोड–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओ को प्राचार्य प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिये अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवायें एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जावे। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का बन्धन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों , भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष में अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड.) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/निःशक्त अभ्यर्थी/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसके दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण –

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिकार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम की सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता –

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 प्रतिशत एग्रीमेंट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या उसके आसपास के अन्य जिले के सर्मीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुये उस विषय/विषय समूह के प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुये प्रवेश दिया जावे। आवेदकों के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आस–पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आनेपर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण –

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों को आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् –

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गो के लिय आरक्षित रहेगीं।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी, परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशष वर्गो के संबंध में क्षतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधियूचित किया जाये तथा यह बिन्दु क्र 12.1 के खण्ड(क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंग। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अंको को अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगीं, परन्तु यदि ऐसी विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जावेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू –कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाये तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतय लिंक के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रंमाक डब्ल्यू. पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – " We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions ans for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाये।

13. अधिभार –

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु उसका उपयोग नहीं किया जाये। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्माधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस/स्काउट्स –

स्काउद्स शब्द को स्काउट्स/गाइडस/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ मे पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट	–	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	–	03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	–	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	–	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतन्त्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी/ एन.एस.एस कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को	–	05 प्रतिशत
(छ)	राल्यपाल स्काउट्स	–	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	–	10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	–	10 प्रतिशत
(य)	डयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	–	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोगाम भाग लेने वाले कैडेट एन.सी.सी/एन.एस.एस. के लिये चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित करने वाल विद्यार्थी को	–	10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर – 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज रूपांकन प्रतियोगितायें–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अन्तर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 04 प्रतिशत

(2) उर्पयुक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में–

(क) प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सककार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में–

क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	–	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	–	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	–	10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यक, कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को – 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(क) छ.ग./म.प्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को	–	10 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम	–	12 प्रतिशत

13.6 जम्मू –कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन –

छत्तीसगढ़ राज्य महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी/खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी. सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जावे, जिनकी उन्हें पात्रता हैं कि–

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिये उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगें।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रमाक निर्धारित किया जायेगा।। अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी। जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र –

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोघ छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोघ छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोघ कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोइ शिक्षक यदि शोघ छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाणपत्र पर प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हाने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोघ शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोघ छात्र ऐसी संस्था में अपना शोघ कार्य चालू रख सकते है, जहां से उनका शोघ आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोघ कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोघ छात्र का शोघ प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष–

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानी वश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जोने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीपह या अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकारण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तत /संशोधन/निरसन/संलग्न करने का पूर्ण अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

टीपः– शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

टीप – शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

शिक्षण संस्था की विवरणिका

प्रवेश तिथि :–

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र–छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिये उपस्थित होना अनिवार्य हैं। प्रवेश समिति द्वारा छात्रों की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र–छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा।

प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्र/छात्रा को 24 घंटे के भीतर अथवा निर्दिष्ट समय में प्रवेश शुल्क देना होगा।

प्रवेश पात्रता :–

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र–छात्रा प्रवेश पा सकेंगे–

1. बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–1
   माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12 वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–2
   क. बी.ए. बी.काम एव बी.एस.सी. भाग–1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3. बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–3
   क. बी.ए. बी.काम एव बी.एस.सी. भाग–2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
4. एम.ए.पूर्व
   क. विश्वविद्यालय की बी.ए. बी.काम एव बी.एस.सी. भाग–3 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
5. एम.ए.अंतिम
   क. विश्वविद्यालय की एम.ए पूर्व की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

प्रवेश नियम (Admission Rules) :–

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य हैं।
2. आवेदन पत्र के साथ निम्नालिखित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।
   (1) स्थानांतरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate)
   (2) अंकसूची (अंतिम परीक्षा दो प्रतियों) में अभिप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि/फोटो स्टेट कापी।

(3) चरित्र प्रमाण (Character Certificate) नियमित छात्रों को पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित चरित पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिये किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।

(4) प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) मूल प्रति बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिये।

(5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) पासपोर्ट आकार के दो चित्र।

(7) जाति प्रमाण पत्र, केवल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।

(8) जन्मतिथि प्रमाण पत्र, इसके लिये उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी।

नोट :–

1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेष सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जावेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जावेगी।

3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।

4. छात्र का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिये अपात्र घोषित कर सकते हैं।

5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा। महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दें।

6. जिस छात्र को प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिये।

7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिये, जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंक सूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र/छात्रा को 5/– रू. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ–पत्र (Affidavit) देकर नत्थी करना होगा।

8. छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शायें स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।

प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत :–

1. महाविद्यालय के प्रवेश की अधिकतम संख्या स्थानादि सुविधा क आधार पर निर्धारित की जावेगी।

2. प्रवेश गुणानुक्रम के अनुसार दिया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये स्थान आरक्षित होंगे।

3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक सुवितायें मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिये हैं।

4. महाविद्यालय प्रवेश में एक विशेषाधिकार है जिसे निष्ठापूर्वक कार्य एवं सदाचार अर्जित किया जाना चाहिये।

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी खुले द्वारा की नीति समाप्त कर दी गई हैं। उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्तर पर प्रवेश निर्धारित किया जाता हैं।

प्रवेश सीमा : (सीटों की संख्या)

(स्नातक स्तर)

बी.ए.भाग – एक	–	140	बी.एस.सी (बायोलाजी)	–	40
बी.ए.भाग – दो	–	140	भाग– 1,2 एवं 3		
बी.ए.भाग – एक	–	140	बी.एस.सी (गणित)	–	40
बी.काम.भाग– 1	–	60			
बी.काम.भाग– 2	–	60			
बी.काम.भाग– 3	–	60			

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

डी.सी.ए	–	40
पी.जी.डी.सी.ए	–	40

(स्नातकोत्तर स्तर)

		पूर्व	अंतिम
राजनीति शास्त्र	–	20	20
समाज शास्त्र	–	20	20
भूगोल	–	20	20
हिन्दी साहित्य	–	25	25
अर्थशास्त्र	–	20	20

शुल्क विनियम :–

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।

2. एक बाद किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क देना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले महाविद्यालय छोड़ दें।

3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।

4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिये। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।

5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालय शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोडने हेतु नियम :–

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।

(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

(द) महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।

(च) निःशेष प्रमाण–पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र या आचरण प्रमाण– पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/– रूपये जमा करना होगा।

(ज) समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जावेगी।

विश्वविद्यालय नामांन : (नवीन छात्रों हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भरकर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र/छात्राओं का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय अवधि में भरना होगा।

महाविद्यालय संबंधी अन्य जानकारियां

ग्रंथालय विभाग :

महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रन्थालय है। ग्रन्थालय में विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकायें एवं शोध, जर्नल्स मंगाये जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने की बुक बैंक योजना कार्यान्वित की जाती हैं, जिसके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को सत्रान्त तक छात्रों के बीच एक सेट पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं जिन्हें परीक्षा उपरान्त वापस लिया जाता है। सामान्य छात्र/छात्राओं को नियमानुसार ग्रन्थालय से पुस्तकें प्रदान की जाती है।

1. पुस्तकालय से पुस्तकों का निर्गमन तथा वापस लेना ग्रन्थालय के नियंत्रण में रहता है, जिसके लिये उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। नियमोल्लंघन करने पर छात्र दण्डित होंगे।
2. ग्रन्थालय में विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं के गठन की सुविधा हैं।
3. ग्रंथालय में महाविद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं को 15 दिनों के लिये दो पुस्तकें निर्गमित की जावेगी।
4. ग्रंथालय से ली गई पुस्तक यदि 15 दिनों के बाद लौटाई गई तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन 1/– के हिसाब से अर्थदण्ड देय होगा। जिसका भुगतान शिक्षण शुल्क की किश्त के साथ अनिवार्य रूप से करना होगा।

शुल्क मुक्ति एवं अन्य सुविधायें :

छत्तीसगढ शासन द्वारा अन्य नियमों के अनुसार छात्रों की शुल्क आदि में निम्नलिखित सुविधायें भी जाती है, जिसे नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालय में लागू किया गया है।

1. कृषक के पुत्र/पुत्रियों को सुविधा –

निम्न आय वाले कृषक के पुत्र/पुत्रियों को अध्ययन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जाती है, यह सुविधा केवल उन्हीं कृषकों के पुत्र/पुत्रियों को उपलब्ध हो सकती है जो 500/– से अधिक मालगुजारी न देते हों। ऐसी सुविधा प्राप्त करने से इच्छुक छात्र अपना आवेदन पत्र निम्नांकित प्रमाण पत्रों के साथ प्राचार्य के पास प्रस्तुत करें।

2. भातृ/भागिनी सुविधा –

यदि महाविद्यालय में दो या अधिक भाई/बहिन नियमित छात्र हो तो बड़े को पूर्ण शुल्क देना होगा। इसके लिये छात्र प्रवेश के तुरंत बाद आवेदन करें।

3. शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये सुविधा–

(अ) शासकीय कर्मचारियों के पृत्र/पुत्रियों की सुविधा/चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा सभी वर्ग के मृत कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर तक माफ रहेगा। माता–पिता का सेवा प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

(ब) 1800/– रूपये तक वेतन प्राप्त करने वाले द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति मिलती हैं।

1. ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रपत्र भरकर माता/पिता के विभागीय प्रमुख के प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश के समय प्रस्तुत करना चाहिये
2. यह सुविधा किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को नहीं मिलती परंतु उत्तीर्ण हो जाने पर दूसरी कक्षा में पुनः प्राप्त हो सकती हैं।
3. स्दाचार नियमित उपस्थिति एवं संतोषजनक प्रगति के आधार पर ही सुचिधा चालू रहेगी। हड़ताल एवं अन्य विध्वंसक कार्यो में भाग लेने वाले छात्रों से यह सुविधा वापस ले ली जावेगी।

4. छात्र सहायता निधि –

योग्य तथा निर्धन छात्रों सहायता निधि से पुस्तक आदि क्रय करने के लिये सहायता दी जाती है।

उपस्थिति :

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय/एन.एस.एस. में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में वह विश्वविद्यालय परीक्षाओं से वंचित हो सकता हैं।

समय–समय पर उपस्थिति के आंकड़ो की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। तत्संबंधी जानकारी उन्हें प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क साधकर प्राप्त करते रहना चाहिये। उपस्थिति में कर्मी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थी या उनके पालकों को सूचना देने के लिये उत्तरदायित्व नहीं है।

जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 15 नवंबर तक 60 प्रतिशत से कम होगी, उनके परीक्षा के आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जावेंगे।

महाविद्यालयीन परीक्षाएं :

विद्यार्थियों को कक्षा में ली जाने वाली अतिरिक्त परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य हैं। प्राचार्य के पूर्व अनुमति के बिना परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्कक कार्यवाही की जावेगी।

संस्था में उपलब्ध खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी :

महाविद्यालय में प्रशिक्षित क्रीड़ाधिकारी के निर्देशन में विभिन्न खेलों की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख रूप से बास्केटबाल, फुटबाल, व्हालीबाल, क्रिकेट, कबड्डी, बैड़मिंटन, खो–खो, एथलेटिक्स, शतरंज, कैरम, वेट लिफ्टींग, कुश्ती आदि खेल प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में संपन्न कराये जाते हैं। इसमें महाविद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ी विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर में अपनी प्रतिभा का और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। छात्रों के शारीरिक विकास हेतु सर्व सुविधायुक्त आधुनिक जिम खाना स्थापित है।

विद्यार्थी सहायता कोष :

यू.जी.सी द्वारा बनाये गये नियमों और निर्देशों के अनुसार इस कोष की स्थापना की गई हैं। इसका उद्देश्य निर्धन तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक आदि के रूप लघु आवश्यकताऔं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देना हैं।

सायकल स्टेण्ड :

महाविद्यालय में सायकल स्टेण्ड की व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यार्थियों से पूरे सत्र के लिये 75/– रूपये स्टेण्ड के रख–रखाव हेतु लिया जाता है। सभी सायकल स्टेण्ड पर ही रखीं जायेगी। कोई भी विद्यार्थी बरामदा या कमरों पोर्च आदि में सायकल रखने पर दण्ड का भागी होगा। अन्यत्र सायकल रखने पर अगर गुम होतीं है तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।

अनुशासन व्यवस्था एवं प्राक्टोरियल बोर्ड :

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के मामलों की जांच एवं निर्णय के लिये एक प्राक्टोरियल बोर्ड रहेगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस) :

महाविद्यालय में एन.एस.एस की संयुक्त 100 स्वंय सेवकों की इकाई कार्यरत है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शहरी बस्तियां और ग्रामों में समाज सेवा के कार्य करने होते हैं। 240 घण्टे की सेवा करने पर विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र मिलता है। समाज सेवा के अंतर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत, प्राथमिकता उपचार आदि कार्य करने होते है। वार्षिक शिविर भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उपस्थित अनिवार्य है।

रेडक्रास सोसायटी :

महाविद्यालय में एक पुरूष और एक महिला इकाई कार्यरत है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सेवा के कार्य का प्रशिक्षण उपचार की जानकारी, रक्त वर्ग परीक्षण, रक्तदान हेतु प्रोत्साहन दिया जाता हैं।

बुक बैंक :

यू.जी.सी एवं शासन की सहायता से निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक का गठन किया गया है, जिससे विद्याथियों को संपूर्ण सत्र के लिये पुस्तके दी जाती है।

नोट :– ऐसे छात्र जो बुक बैंक पुस्तकें लेने की पात्रता रखता है विवरणिका में संलग्न फार्म भरकर पुस्तकालय अधिकारी को पर्याप्त प्रमाण सहित देंगे। पुस्तकालय के उपयोग के लिये परिचय पत्र लाना आवश्यक है। जुलाई माह में फीस कार्ड और प्रवेश कार्ड भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

कौशल उन्नयन योजना :

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी में छात्रहित को ध्यान में रखकर कौशल उन्नयन योजना (National University Students skill Development [NUSSD] Programe) आरंभ किया गया है, जिसका एम.ओ.यू. हो चूका है जिसके अंतर्गत छात्र/छात्राओं को अध्ययन के साथ–साथ स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इसके साथ ही विगत वर्ष से आई.टी.आई. कोनी के प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न रोजगारन्मुख कार्यक्रम आरंभ किया जा चुका है।

एन.सी.सी (N.C.C)

महाविद्यालय में NCC अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 7 वीं बटालियन, बिलासपुर द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2015 को की गई जिसमें सीनियर डिवीजन एवं विंक SD/SW (छात्र/छात्रा) प्रभाग का गठन हुआ। यह एक अंतर्सेवीं संगठन है जिसका उद्देश्य युवाओं में चरित्र, साहपर्थ, अनुशासन, समर्पण, नेतृत्व, धर्म निरपेक्ष, निस्वार्थ सेवा एवं नैतिक मूल्यों का संचार करना है। यह संगठित, प्रशिक्षित एवं प्रेरित युवाओं का मानव संसाधन तैयार करता है, जो भविष्य में सशस्त्र सेना को अपनी जिविका बना देश की सेवा के लिये सदैव तैयार रहे। NCC का ध्येय ‘‘ एकता और अनुशासन ’’ है जो हमें समय पाबन्द, कठोर परिश्रमी ईमानदारी एवं मुस्कराते हुये आज्ञा पालन करना सिखाती है। NCC में नामाकंन हेतु आयु 18 से 21 वर्ष रखीं गई हैं। पंजीकृत छात्र/छात्रा 3 वर्ष में क्रमशः A,B,C सर्टिफिकेट की परीक्षा देगा एवं उत्तीर्ण होने पर विभिन्न रोजगार में प्रोत्साहन अंक एवं छात्रवृत्ति की योग्यतानुसार हकदार बनेगा।

नोट – नामांकन हेतु इच्छुक छात्र/छात्रा संबंधित विभाग में संपर्क करेंगें।

परिचय पत्र (Identity Card) :

1. परिचय पत्र महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा। ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी छात्र/छात्रा को प्राप्त हो सके।
3. परिचय पत्र सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्र/छात्रा का कर्तव्य हैं।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।
7. परिचय पत्र के खो जाने पर 10/– रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। परन्तु नया परिचय पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विधार्थियों के लिये
आचरण – संहिता

सामान्य नियम–

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विधाथियों को महाविद्यालय के निमयों का पालन करना होगा इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा

1. विधार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिये।
2. प्रत्येक विधार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गली गलौच, मारपीट या आग्नेय अरत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विधार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विधार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वहन करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदाथों का सेवन सर्वधा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गन्दी बातें लिखना सख्त मना हैं। विधार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विधार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम–

1. प्रत्येक विषय में विधार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी/एन.एस.एस में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़–फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम–

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
2. अस्वस्थतावश आन्तरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र –

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्तकर दिया जावेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिरोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपया जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सका हैं।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. म्हाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदने पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिये विशेष परिनियम :–

1. यह विशेष परिनियम विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर से रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा हैं।

2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा।

3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होग–

   1. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना।
   2. मनसिक आघात जैसे मानसिक क्लैश पहुंचना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना आदि।
   3. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना।
   4. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना, चिल्लाना आदि।

4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभाषक या कोई नागरिक अपनी शिकयत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालय में गठित प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे। इस बोर्ड में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप मे प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनित किये जायेंगे। इस हेतु प्रॉक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहुत की जायेगी। यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगे।

5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को देगा।

6. प्रॉक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दण्ड दिया जा सकेगा।

   1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासना
   2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।
   3. दोष छात्र को दण्ड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबंधित होगा।
   4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।
   5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
   6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा। इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करना आवश्यक होगा।

अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रंमाक 83/98, बिलासपुर दिनांक 12.11.1998

प्रतिलिपि–

समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण एवं प्राचार्य, समस्त संबंद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ तथा इस आशय के साथ कि पूर्व में जारी अधिसूचना पृष्ठ क्रंमाक 49/98, बिलासपुर दिनांक 25.07.1998 को मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रंमाक 1343/98सी–3/98 दिनांक 25.04.1998 के परिप्रेक्ष्य में निरस्त माना जाये।

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिबंध अधिनियम :

राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और अनुसांगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियत –

परिभाषा –

क. रैगिंग से आम प्रवाह किसी छात्र का मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित बाध्य या अभदर्शित होता हो या किन्हीं विधि पूर्ण कार्य करने से प्रचरित करना, आपराधिक, दोषपूर्ण परिरोध या उसे पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोष पूर्ण अवरोध , दोष पूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

ख. ‘‘ शैक्षणिक संस्था’’ से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।

रैगिंग का प्रतिषेध :–

1. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

2. यदि कोई व्यक्ति धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो कि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माना से जो 5 हजार रूपये से अधिक से अधिक नहीं होगी या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

3. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. (अ) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

   (ब) इस अधिनियम उपबंधे के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच एवं विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

---

1. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था में प्रधान को छात्र के निष्कासन के अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्णित करने का अधिकार होगा।

2. किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा–4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था को निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

3. ऐसा छात्र जहो निष्कासित किया गया हो अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधनी सिद्ध दोष पाया गया हो , किसी अन्य शैक्षणिम संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रंमाक सी/455/21–अ (प्रारूपण)/2002– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्रं 27 सन् 2001) का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अतिरिक्त सचिव

शुल्क विवरण

कार्यालय प्राचार्य शासकीय पातालश्वर महाविद्यालय मस्तूरी , जिला–बिलासपुर छ.ग.
प्रवेश शुल्क विवरण सत्र 2017–18

क्रं.	मद	बी.ए. भाग–1	बी.ए. भाग–2	बी.ए. भाग–3	बी.एस.सी. –1	बी.एस.सी. –2	बी.एस.सी. –3	बी.काम. –1	बी.काम–2	बी.काम–3	एम.ए.पूर्व	एम.ए. पूव भूगोल	एम.ए. अंतिम	एम.ए. अंतिम	एम. कॉम/ एम.ए. पूर्व हि. व अ.शा.	एम. कॉम/ एम.ए. अंतिम हि. व अ.शा.	डी.सी.ए.	पी.जी.डी. सी.ए.	जनभागी दारी समिति	शासकीय	
					अशासकीय															UG	PG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	अवधान राशि	100	0	0	100	0	0	60	0	0	100	200	0	0	100	0	100	200	0	0	0
2	वि.वि.छा.क.शु.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0
3	परिचय पत्र शु.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0
4	निर्धन छात्र शु.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0
5	सायकल स्टैंड	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0
6	चिकित्सा शु.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
7	पत्रिका शु.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0
8	नामांकन शु.	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
9	शा.क.शु.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0
10	वि.वि.छा.क.शु.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
11	छात्र क.शु.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
12	सुरक्षा बीमा यो..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	छात्र का.रूम.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0
14	महा.विकास शु.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0
15	सम्मिलित निधि	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0
16	सोशल गेदरिंग	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
17	युवा गतिविधि	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
18	रेडक्रास सोसा.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0
19	मूल्यांकन शु.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
20	शिक्षण शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	135
21	पुन : प्रवेश शु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
22	लेखन सामग्री	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
23	प्रयोगशाला शु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
24	टी.सी.शु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
25	जन. स.शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0
26	स्वतीय योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	10000	12000	0	0	0
27	पर्यावरण शुल्क	15	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	947	732	732	947	732	732	907	732	732	832	932	732	732	3832	3732	10932	13032	400	144	164

महाविद्यालय स्टाफ की सूची

प्राचार्य

डॉ. (श्रीमती) एस.एम.तिमोथी

कला संकाय

हिन्दी विभाग : स्नातकोत्तर एवं शोध केन्द्र

1. डॉ. राजेश चतुर्वेदी – प्राध्यापक

अंग्रेजी विभाग :

1. श्रीमती नीता जौहर – सहायक प्राध्यापक

राजनीति शास्त्र विभाग :

1. डॉ. (श्रीमती) सुजाता सेमुअल – सहायक प्राध्यापक
2. श्रीमती कान्ति अंचल – सहायक प्राध्यापक

अर्थशास्त्र विभाग :

1. श्री बी.आर. खूंटे – सहायक प्राध्यापक

समाज शास्त्र विभाग : स्नातकोत्तरएवं शोध केन्द्र

1. डॉ (श्रीमती) दुर्गा बाजपेयी – सहायक प्राध्यापक
2. श्री बी.एल. मंडलोई – सहायक प्राध्यापक

भूगोल विभाग :

1. श्री जे.एस. पैकरा – सहायक प्राध्यापक
2. डॉ के.आर मतावले – सहायक प्राध्यापक

विज्ञान संकाय

1. डॉ. डी.आर.साहू – प्राध्यापक (गणित)
2. श्री. एल.के.निराला – सहायक प्राध्यापक (भौतिक शास्त्र)
3. श्री.बी.एस.राज – सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र)
4. श्री नवीन रेलवानी – सहायक प्राध्यापक(वनस्पति शास्त्र)
5. डॉ किरण ठाकुर – सहायक प्राध्यापक(रसायन शास्त्र)

वाणिज्य संकाय

1. डॉ डी.के. सिंह – सहायक प्राध्यापक

अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियां

1. श्री मुकेश बिहारी घोरे – क्रीड़ा अधिकारी

गंथालय

1. .... – रिक्त

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)

कर्मचारियों की सूची

1.	श्री डी.के शुक्ला	–	सहा.ग्रेड–1
2.	श्री एम.आर कुर्रे	–	सहा.ग्रेड–1
3.	श्री ए.आर. भोंसले	–	सहा.ग्रेड–1
4.	श्री अनिल शर्मा	–	प्रयो. तकनीशियन
5.	श्री भूपेन्द्र सर्वे	–	प्रयो. तकनीशियन
6.	श्री सुनील कुमार यादव	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
7.	श्री एस.आर. पालके	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
8.	श्री बृजेश कोरी	–	प्रयोगशाला परिचालक
9.	श्री मुकेश नायक	–	प्रयोगशाला परिचालक
10.	श्री रोशन शेर	–	प्रयोगशाला परिचालक
11.	श्री प्रदीप खूंटे	–	प्रयोगशाला परिचालक
12.	कु. सुकन्या श्रीवास	–	प्रयोगशाला परिचालक
13.	श्री रामस्वरूप कैवर्त	–	बुक लिफटर
14.	श्रीमती कौशिल्या	–	स्वीपर
15.	श्री मनसाय मिरी	–	चौकीदार

हुनर से तरक्की तक
मोबाइल | आई. टी. | ब्यूटी और वैलनेस | टेलीकॉम | रीटेल | कन्स्ट्रक्शन | इलेक्ट्रॉनिक्स
ट्रेनिंग की जानकारी के लिए कॉल करे
51,28,797
प्रशिक्षित

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय
मस्तूरी, जिला : बिलासपुर (छ.ग.)
राष्ट्रीय सेवा योजना
सदभावना दिवस
पर आपका हार्दिक अभिनंदन है...

NATIONAL CADET CORPS
7 CG BN. NCC BILASPUR
GOVT. PATALESHWAR COLLEGE
MASTURI DIST. BILASPUR
GROOMING TOMORROWS LEADERS JOIN NCC FOR BETTER FUTURE

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

तमसो मॉं ज्योतिर्गमय

प्रवेश विवरणिका

सत्र - 2018-19

योग एवं स्वास्थ्य

GOVT PATALESHWAR COLLEGE MASTURI
शासकीय पातालेश्वर
मस्तूरी, जिला - बिलासपुर

GROUP

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला – बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड : **49551**

Website – www.gpemasturi.com

प्रवेश विवरणिका

सत्र – 2018–19

आवेदन पत्र भरने से पूर्ण विवरणिका को ध्यान से पढे।

आवेदन फार्म में अपना संपर्क नं. अवश्य लिखें

महाविद्यालय का परिचय

बिलासपुर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर विकासखण्ड मुख्यालय, मस्तूरी में महाविद्यालय की स्थापना तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन के पूर्व शिक्षामंत्री माननीय स्व. श्री बंशीलाल धृतलहरे जीं के अथक प्रयासों से सन् 16/19 अगस्त 1988 को की गई। स्थापना काल से सन् 30.10.2000 तक महाविद्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मस्तूरी में प्रातः कालीन पाली में संचालित होता रहा। छत्तीसगढ राज्य स्थापना 01 नवंबर 2000 से महाविद्यालय, शासन द्वारा प्रदत्त कोसमडीह रोड मस्तूरी में 15 एकड़ भूमि आबंटित की गई है, जिसमें सासंद/ विधायक मद, जनभागीदारी समिति कोष द्वारा निर्मित कक्ष एवं सभा भवन तथा यू.जी.सी अनुदान द्वारा निर्मित पुस्तकालय भवन में कला संकाय के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर का अध्यापन कार्य संचालित हो रहा है।

2006–07 में क्षेत्रीय विधायक एवं माननीय पूर्व उच्च शिक्षामंत्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, छत्तीसगढ शासन के अथक प्रयासों से महाविद्यालय के नवीन भवन का प्रस्ताव पारित हुआ, तदनुसार लगभग 76.59 लाख रूपये की लागत से महाविद्यालय भवन लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर द्वारा निर्मित कराया गया है। जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, छत्तीसगढ शासन द्वारा विकास यात्रा के दौरान दिनांक 13 जून 2008 को किया गया।

सत्र 2008–09 में महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ हुआ हैं। अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखण्ड मस्तूरी में स्थापित महाविद्यालय स्थापना काल से आज पर्यन्त अध्ययन, अध्यापन, पुस्तकालय, क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना, भौतिक संसाधन के माध्यम से भावी नागरिकों का सर्वांगीण विकास कर रहा है।

महाविद्यालय जब प्रारंभ हुआ था उस समय छात्रों की संख्या 07 थीं। महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। महाविद्यालय में परीक्षाफल अच्छा रहता है। महाविद्यालय के छात्र–छात्रायें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवायें दे रहे हैं।

पातालेश्वर जी का संक्षिप्त इतिहास

बिलासपुर से 30 एवं मस्तूरी से 13 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण– पश्चिम में स्थित मल्हार दक्षिण कोसल की यह ऐतिहासिक एवं पावन नगर कल्चुरी कालीन मंदिरों के लिये प्रसिद्ध हैं। मल्हार में कल्चुरी कालीन (900 ई. से 1300 ई.) पातालेश्वर मंदिर स्थित है। भूमिज शैली के बने इस मंदिर की आधार पीठिका 108 कोणों वाली है। मंदिर के मण्डप का चबूतरा भूमि से लगभग 6 फुट उंचा हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार एवं बाह्य– आंतरिक भागों में विभिन्न देवी –देवताओं की प्रतिमाएं अंकित है। पातालेश्वर जी का गर्भगृह एक तलघर की तरह है नीचे पहुंचने के लिये कुछ सीढ़िया उतरनी पड़ती है। गर्भगृह में भगवान शिव की विलक्षण प्रतिमा गोमुखी आकार–प्रकार के सुंदरी काले चमकदार पत्थर वाली जलहरी के मध्य त्रिकोणाकृत में अवस्थित है, इस मूर्ति में जितना भी जल चढाया जाये अंदर समाहित हो जाता है। एक विशेष प्रकोष्ठ में अवस्थित शिवलिंग पातालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं।

कल्चुरियों के शासन में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात था। हाल में खुदाई के दौरान पाये गये पुरावशेषों में वर्तमान में यह पुरातात्विक महत्व स्थल बन गया हैं। इस क्षेत्र में खुदाई के दौरान देउर डिंडेश्वरी, पातालेश्वर, चतुर्भुजी विष्णु तथा अनेक बौद्ध और जैन सम्प्रदाय की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। खुदाई से प्राप्त चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा संभवतः दूसरी सदी की हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार क स्तम्भ में गंगा–यमुना और शिव–पार्वती विवाह के प्रसंग उत्कीर्ण हैं। इसकी आधारीय सतह पर तराशे गये युद्धरत हाथियों का चित्रण बाहरी दीवारों तक किया गया हैं। यहां से प्राप्त अनेक भग्नावशेष ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के हैं।

प्राचार्य की कलम से ....

ईश्वर से सृष्टि की रचना की और मनुष्य इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना हैं, ईश्वर ने हमें सोचने एवं समझने की शक्ति प्रदान की है। यह हम पर निर्भर है कि इस शक्ति का प्रयोग हम किस तरह करते है। जीवन में सफल होने एवं निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये समय की पाबंदी एवं संयम का होना आवश्यक है। अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है।

आपके उज्जवल भविष्य के लिये एवं आपके शैक्षणिक स्तर को उच्च से उच्चतर बनाने हेतु हमारा महाविद्यालय परिवार आपकी हर संभव मदद हेतु प्रस्तुत है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के रूप में आप सेवाभावी आदर्श नागरिक बनकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। रेडक्रास के सहयोगी बनकर जल कल्यार्थ वैश्विक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं भाषण, लेखन आदि के द्वारा आप अपनी प्रतिभा को उंचा करने का सतत् प्रयास कर सकते हैं।

स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस हेतु महाविद्यालय में शारीरिक व्यायाम के लिये जिम खाना एवं अन्य खेल गतिविधियाँ संचालित हैं।

अध्ययन, मनन धारण, लेखन सब आपको करना है। हम पुस्तकें, समाचार, पत्र पत्रिकायें प्रायोगिक सुविधायें, खेलकूद सामग्री एवं अध्यापन की उत्तम व्यवस्था द्वारा हर संभव मदद करेंगे। हम चाहते है कि छात्र अनुशासन लगन एवं अध्ययन के साथ शैक्षेणेत्तर गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जनभागीदारी समिति के सुयोग्य सहयोग से महाविद्यालय को समृद्ध एवं विकासवान बनाने का प्रयास करेंगे।

महाविद्यालय में अ.ज.जा एवं पिछड़े वर्ग हेतु शासन द्वारा देय छात्र–वृत्तियों भी है। स्वाध्यायी छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक सुविधायें यहॉ अल्प राशि में उपलब्ध हैं। महाविद्यालय स्तर पर बनी समितियों आपकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ महाविद्यालय में स्वगत करते हैं।

डॉ. (श्रीमती) मंजू त्रिपाठी
प्राचार्य

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर
पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय

1. बी.ए. प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

अ.	अनिवार्य विषय	–	आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
ब.	पर्यावरण विज्ञान	–	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु
स.	ऐच्छिक विषय	–	निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें।

वि.वि. द्वारा परिवर्तन संभावित हैं।

1. समाज शास्त्र	2. अर्थशास्त्र
3. राजनीति शास्त्र	4. हिन्दी साहित्य
5. अंग्रेजी साहित्य	6. भूगोल

बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षो के लिये विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2. बी.ए द्वितीय का पाठ्यक्रम –

बी.ए. पूर्व में ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए.प्रारंभिक में लिये गये थे।

3. बी.ए. तृतीय का पाठ्यक्रम –

बी.ए. तृतीय में वे ही विषय होंगे जो बी.ए.पूर्व में लिये गये हो एवं महाविद्यालय के विषय समूह के अंतर्ग हो।

3. स्नातकोत्तर कक्षाएं (एम.ए)

कला निकाय के निम्नलिखित विषयों के स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है –

1. राजनीति शास्त्र	2. समाज शास्त्र	3. भूगोल

4. स्ववित्तीय मद थे –

1. डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए	2. एम.ए.हिन्दी.	3. एम.ए.अर्थशास्त्र

विज्ञान संकाय
प्राणीशास्त्र

1. बी.एस.सी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

अ.	अनिवार्य विषय	–	आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब.	पर्यावरण विज्ञान	–	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु
स.	ऐच्छिक विषय	–	निम्नांकित विषयों समूहों में से कोई एक समूह – जीव विज्ञान – प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र गणित – भौतिक शास्त्र गणित एवं रसायन शास्त्र

2. बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष –

बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में लिये गये विषय ही लेने होंगे।

3. बी.एस.सी. तृतीय वर्ष –

बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष में लिये गये विषय ही लेने होंगे।

वाणिज्य संकाय

1. बी. काम प्रथम वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय	–	आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब. पर्यावरण विज्ञान	–	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु
स. अनिवार्य समूह	–	1. वित्तीय लेखांकन एवं व्यायसायिक गणित
		2. व्यावसायिक संचार एवं व्यावसायिक नियन रूप रेखा
		3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

2. बी.काम. द्वितीय वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय	–	आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब. अनिवार्य समूह	–	1. निगमित लेख एवं लागत लेखांकन
		2. व्यावसायिक सांख्यिकी एवं उद्यमिता के मूलतत्व
		3. व्यवसाय प्रबंध एवं कंपनी अधिनिमय

3. बी.काम. तृतीय वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय	–	आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब. अनिवार्य समूह	–	वैकल्पिक
1. आयकर (प्रत्यक्ष कर)		1. वित्तीय प्रबंध
2. अप्रत्यक्ष कर		2. वित्तीय बाजार संचालन
3. प्रबंधकीय लेखंकर		
4. अंकेक्षण		

अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियां

1.	क्रीड़ा विभाग		
	श्री मुकेश बिहारी घोरे	–	क्रीड़ा अधिकारी
2.	राष्ट्रीय सेवा योजना		
	श्रीमती कांति अंचल	–	कार्यक्रम अधिकारी
3.	एन.सी.सी.		
	श्रीमती नीता जौहार	–	केयर टेकर
4.	युवा रेडक्रास		
	श्री. डी.के.सिंह	–	प्रभारी प्राध्यापक
5.	कौशल विभाग योजना	–	
	डॉ. सुजाता सैमुअल	–	प्रभारी प्राध्यापक

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत 2013–14
(2016–17 के लिये शासन द्वारा प्रवेश नियमों में जो संशोधन किया जायेगा वह लागू होगा)

1. प्रयुक्ति –

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से हैं।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिये प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जावेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी जायेगी। प्रवेश बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वंय तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश का अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित न होने की तिथि 15 दिन तक, जो भी पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावे, किन्तु इसके लिये कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब यह प्रवेश लेना चाहता है कि, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहां इसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता

2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मुल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुर्नमूंल्याकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोगी हेतु योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा '' उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करे।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौन्सिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनसार अधिमतम 80 विद्याथियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। संबंद्ध विश्वविद्यालय/स्वशायी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया हैं। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्हीं निर्धातिर विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुय, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची,प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने वाले एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दीं जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया '' की मोहर लगाकर उसे रदद् करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश शुल्क विलंब शुल्क 100/– रूपये अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा तथापित ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटतम पुलिस थाने मे एफ.आई.आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र का अनुक्रंमाक एवं दिनाकं का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपीनय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया हैं।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2563/2014/38–1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार '' राज्य शासन, एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है '' का पालन किया जाये।

5. प्रवेश की पात्रता –

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमि. कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वद्यिालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

5.2 स्नातकोत्तर स्तर, नियमित प्रवेश :

(क) बी.कॉम/बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. कॉम/एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी/एम.ए पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms)

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदको का प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर मे ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय, नियमित प्रवेश –

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी परीक्षा की यहीं प्रकिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTC/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNSIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन कर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीखा –

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई) , इण्डियन कॉसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इन्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षायें मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनबीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framwork) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलो के लिये अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रंमाक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार–

‘‘ जैसा कि आपको ज्ञात है कि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया हैं।

जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गाय है यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोडों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमो में दाखिलो के लिये प्रयास किये जा रहे हों तो उन छात्रो के क्षैतिजिक गत्यात्यकता के लिये सुअवसर मिल सके।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश –

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए/बी.कॉम/बी.एस.सी/बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वाशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जावे।

7.2 छ.ग. से बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालयें से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय,तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य हैं।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता –

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा–

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में एक पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेन्ट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थयी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में निर्धारित एग्रीमेट 48प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थयी प्रवेश, नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हतायें–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी भी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओ को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे यह प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने का गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 महाविद्यालय में तोड–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओ को प्राचार्य प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिये अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवायें एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जावे। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का बन्धन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों , भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष में अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड.) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/निःशक्त अभ्यर्थी/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसके दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण –

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिकार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम की सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता –

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 प्रतिशत एग्रीमेंट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या उसके आसपास के अन्य जिले के सर्मीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुये उस विषय/विषय समूह के प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुये प्रवेश दिया जावे। आवेदकों के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आस–पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आनेपर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण –

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों को आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् –

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गो के लिय आरक्षित रहेगीं।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी, परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशष वर्गो के संबंध में क्षतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधियूचित किया जाये तथा यह बिन्दु क्र 12.1 के खण्ड(क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भींतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंग। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अंको को अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगीं, परन्तु यदि ऐसी विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जावेगीं।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू –कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाये तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतय लिंक के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रंमाक डब्ल्यू. पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – “ We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions ans for public appointments.” का कड़ाई से पालन किया जाये।

13. अधिभार –

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु उसका उपयोग नहीं किया जाये। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्माधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस/स्काउट्स –

स्काउद्स शब्द को स्काउट्स/गाइडस/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ मे पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट	–	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	–	03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	–	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	–	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतन्त्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी/ एन.एस.एस कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्याथियों को	–	05 प्रतिशत
(छ)	राल्यपाल स्काउट्स	–	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	–	10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	–	10 प्रतिशत
(य)	डयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	–	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोगाम भाग लेने वाले कैडेट एन.सी.सी/एन.एस.एस. के लिये चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित करने वाल विद्यार्थी को	–	10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर – 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज रूपांकन प्रतियोगितायें–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अन्तर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 04 प्रतिशत

(2) उर्पयुक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में–

(क) प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सककार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में–

क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	–	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	–	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	–	10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यक, कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को – 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(क) छ.ग./म.प्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को – 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम – 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू –कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन –

छत्तीसगढ़ राज्य महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी/खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी. सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जावे, जिनकी उन्हें पात्रता हैं कि–

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिये उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगें।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रंमाक निर्धारित किया जायेगा।। अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी। जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र –

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोघ छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोघ छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोघ कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोइ्र शिक्षक यदि शोघ छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाणपत्र पर प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हाने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोघ शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोघ छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते है, जहां से उनका शोघ आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोघ कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोघ छात्र का शोघ प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष–

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानी वश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जोने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीपह या अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकारण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तत /संशोधन/निरसन/संलग्न करने का पूर्ण अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

टीपः– शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

टीप – शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

शिक्षण संस्था की विवरणिका

<u>प्रवेश तिथि :–</u>

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र–छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिये उपस्थित होना अनिवार्य हैं। प्रवेश समिति द्वारा छात्रों की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र–छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा।

प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्र/छात्रा को 24 घंटे के भीतर अथवा निर्दिष्ट समय में प्रवेश शुल्क देना होगा।

<u>प्रवेश पात्रता :–</u>

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र–छात्रा प्रवेश पा सकेंगे–

1. <u>बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–1</u>
   माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12 वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. <u>बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–2</u>
   क. बी.ए. बी.काम एव बी.एस.सी. भाग–1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3. <u>बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–3</u>
   क. बी.ए. बी.काम एव बी.एस.सी. भाग–2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
4. <u>एम.ए.पूर्व</u>
   क. विश्वविद्यालय की बी.ए. बी.काम एव बी.एस.सी. भाग–3 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
5. <u>एम.ए.अंतिम</u>
   क. विश्वविद्यालय की एम.ए पूर्व की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

<u>प्रवेश नियम</u> (Admission Rules) :–

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य हैं।
2. आवेदन पत्र के साथ निम्नालिखित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।
   (1) स्थानांतरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate)
   (2) अंकसूची (अंतिम परीक्षा दो प्रतियों) में अभिप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि/फोटो स्टेट कापी।

(3) चरित्र प्रमाण (Character Certificate) नियमित छात्रों को पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित चरित पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिये किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।

(4) प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) मूल प्रति बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिये।

(5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) पासपोर्ट आकार के दो चित्र।

(7) जाति प्रमाण पत्र, केवल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।

(8) जन्मतिथि प्रमाण पत्र, इसके लिये उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी।

नोट :–

1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेष सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जावेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जावेगी।

3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।

4. छात्र का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिये अपात्र घोषित कर सकते हैं।

5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा। महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दें।

6. जिस छात्र को प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिये।

7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिये, जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंक सूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र/छात्रा को 5/– रू. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ–पत्र (Affidavit) देकर नत्थी करना होगा।

8. छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शायें स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।

प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत :–

1. महाविद्यालय के प्रवेश की अधिकतम संख्या स्थानादि सुविधा क आधार पर निर्धारित की जावेगी।

2. प्रवेश गुणानुक्रम के अनुसार दिया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये स्थान आरक्षित होंगे।

3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक सुवितायें मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिये हैं।

4. महाविद्यालय प्रवेश में एक विशेषाधिकार है जिसे निष्ठापूर्वक कार्य एवं सदाचार अर्जित किया जाना चाहिये।

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी खुले द्वारा की नीति समाप्त कर दी गई हैं। उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्तर पर प्रवेश निर्धारित किया जाता हैं।

प्रवेश सीमा : (सीटों की संख्या)

(स्नातक स्तर)

बी.ए.भाग – एक	–	140	बी.एस.सी (बायोलाजी)	–	40
बी.ए.भाग – दो	–	140	भाग– 1,2 एवं 3		
बी.ए.भाग – एक	–	140	बी.एस.सी (गणित)	–	40
बी.काम.भाग– 1	–	60			
बी.काम.भाग– 2	–	60			
बी.काम.भाग– 3	–	60			

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

डी.सी.ए	–	40
पी.जी.डी.सी.ए	–	40

(स्नातकोत्तर स्तर)

		पूर्व	अंतिम
राजनीति शास्त्र	–	20	20
समाज शास्त्र	–	20	20
भूगोल	–	20	20
हिन्दी साहित्य	–	25	25
अर्थशास्त्र	–	20	20
एम. कॉम	–	20	20

शुल्क विनियम :–

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।

2. एक बाद किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क देना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले महाविद्यालय छोड़ दें।

3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।

4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिये। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।

5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालय शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोडने हेतु नियम :–

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।

(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

(द) महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।

(च) निःशेष प्रमाण–पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र या आचरण प्रमाण– पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/– रूपये जमा करना होगा।

(ज) समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जावेगी।

विश्वविद्यालय नामांन : (नवीन छात्रों हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भरकर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र/छात्राओं का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय अवधि में भरना होगा।

महाविद्यालय संबंधी अन्य जानकारियां

ग्रंथालय विभाग :

महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रन्थालय है। ग्रन्थालय में विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकायें एवं शोध, जर्नल्स मंगाये जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने की बुक बैंक योजना कार्यान्वित की जाती हैं, जिसके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को सत्रान्त तक छात्रों के बीच एक सेट पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं जिन्हें परीक्षा उपरान्त वापस लिया जाता है। सामान्य छात्र/छात्राओं को नियमानुसार ग्रन्थालय से पुस्तकें प्रदान की जाती है।

1. पुस्तकालय से पुस्तकों का निर्गमन तथा वापस लेना ग्रन्थालय के नियंत्रण में रहता है, जिसके लिये उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। नियमोल्लंघन करने पर छात्र दण्डित होंगे।
2. ग्रन्थालय में विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं के गठन की सुविधा हैं।
3. ग्रंथालय में महाविद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं को 15 दिनों के लिये दो पुस्तकें निर्गमित की जावेगी।
4. ग्रंथालय से ली गई पुस्तक यदि 15 दिनों के बाद लौटाई गई तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन 1/– के हिसाब से अर्थदण्ड देय होगा। जिसका भुगतान शिक्षण शुल्क की किश्त के साथ अनिवार्य रूप से करना होगा।

शुल्क मुक्ति एवं अन्य सुविधायें :

छत्तीसगढ शासन द्वारा अन्य नियमों के अनुसार छात्रों की शुल्क आदि में निम्नलिखित सुविधायें भी जाती है, जिसे नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालय में लागू किया गया है।

1. कृषक के पुत्र/पुत्रियों को सुविधा –

निम्न आय वाले कृषक के पुत्र/पुत्रियों को अध्ययन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जाती है, यह सुविधा केवल उन्हीं कृषकों के पुत्र/पुत्रियों को उपलब्ध हो सकती है जो 500/– से अधिक मालगुजारी न देते हों। ऐसी सुविधा प्राप्त करने से इच्छुक छात्र अपना आवेदन पत्र निम्नांकित प्रमाण पत्रों के साथ प्राचार्य के पास प्रस्तुत करें।

2. भातृ/भागिनी सुविधा –

यदि महाविद्यालय में दो या अधिक भाई/बहिन नियमित छात्र हो तो बड़े को पूर्ण शुल्क देना होगा। इसके लिये छात्र प्रवेश के तुरंत बाद आवेदन करें।

3. शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये सुविधा–

(अ) शासकीय कर्मचारियों के पृत्र/पुत्रियों की सुविधा/चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा सभी वर्ग के मृत कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर तक माफ रहेगा। माता–पिता का सेवा प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

(ब) 1800/– रूपये तक वेतन प्राप्त करने वाले द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति मिलती हैं।

1. ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रपत्र भरकर माता/पिता के विभागीय प्रमुख के प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश के समय प्रस्तुत करना चाहिये
2. यह सुविधा किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को नहीं मिलती परंतु उत्तीर्ण हो जाने पर दूसरी कक्षा में पुनः प्राप्त हो सकती हैं।
3. स्दाचार नियमित उपस्थिति एवं संतोषजनक प्रगति के आधार पर ही सुचिधा चालू रहेगी। हड़ताल एवं अन्य विध्वंसक कार्यो में भाग लेने वाले छात्रों से यह सुविधा वापस ले ली जावेगी।

4. छात्र सहायता निधि –

योग्य तथा निर्धन छात्रों सहायता निधि से पुस्तक आदि क्रय करने के लिये सहायता दी जाती है।

उपस्थिति :

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय/एन.एस.एस. में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में वह विश्वविद्यालय परीक्षाओं से वंचित हो सकता हैं।

समय–समय पर उपस्थिति के आंकड़ो की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। तत्संबंधी जानकारी उन्हें प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क साधकर प्राप्त करते रहना चाहिये। उपस्थिति में कमी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थी या उनके पालकों को सूचना देने के लिये उत्तरदायित्व नहीं है।

जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 15 नवंबर तक 60 प्रतिशत से कम होगी, उनके परीक्षा के आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जावेंगे।

महाविद्यालयीन परीक्षाएं :

विद्यार्थियों को कक्षा में ली जाने वाली अतिरिक्त परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य हैं। प्राचार्य के पूर्व अनुमति के बिना परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्कक कार्यवाही की जावेगी।

संस्था में उपलब्ध खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी :

महाविद्यालय में प्रशिक्षित क्रीड़ाधिकारी के निर्देशन में विभिन्न खेलों की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख रूप से बास्केटबाल, फुटबाल, व्हालीबाल, क्रिकेट, कबड्डी, बैड़मिंटन, खो–खो, एथलेटिक्स, शतरंज, कैरम, वेट लिफ्टींग, कुश्ती आदि खेल प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में संपन्न कराये जाते हैं। इसमें महाविद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ी विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर में अपनी प्रतिभा का और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। छात्रों के शारीरिक विकास हेतु सर्व सुविधायुक्त आधुनिक जिम खाना स्थापित है।

विद्यार्थी सहायता कोष :

यू.जी.सी द्वारा बनाये गये नियमों और निर्देशों के अनुसार इस कोष की स्थापना की गई हैं। इसका उद्देश्य निर्धन तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक आदि के रूप लघु आवश्यकताऔं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देना हैं।

सायकल स्टेण्ड :

महाविद्यालय में सायकल स्टेण्ड की व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यार्थियों से पूरे सत्र के लिये 75/– रूपये स्टेण्ड के रख–रखाव हेतु लिया जाता है। सभी सायकल स्टेण्ड पर ही रखीं जायेगी। कोई भी विद्यार्थी बरामदा या कमरों पोर्च आदि में सायकल रखने पर दण्ड का भागी होगा। अन्यत्र सायकल रखने पर अगर गुम होतीं है तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।

अनुशासन व्यवस्था एवं प्राक्टोरियल बोर्ड :

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के मामलों की जांच एवं निर्णय के लिये एक प्राक्टोरियल बोर्ड रहेगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस) :

महाविद्यालय में एन.एस.एस की संयुक्त 100 स्वंय सेवकों की इकाई कार्यरत है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शहरी बस्तियां और ग्रामों में समाज सेवा के कार्य करने होते हैं। 240 घण्टे की सेवा करने पर विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र मिलता है। समाज सेवा के अंतर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत, प्राथमिकता उपचार आदि कार्य करने होते है। वार्षिक शिविर भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उपस्थित अनिवार्य है।

रेडक्रास सोसायटी :

महाविद्यालय में एक पुरूष और एक महिला इकाई कार्यरत है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सेवा के कार्य का प्रशिक्षण उपचार की जानकारी, रक्त वर्ग परीक्षण, रक्तदान हेतु प्रोत्साहन दिया जाता हैं।

बुक बैंक :

यू.जी.सी एवं शासन की सहायता से निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक का गठन किया गया है, जिससे विद्याथियों को संपूर्ण सत्र के लिये पुस्तके दी जाती है।

नोट :– ऐसे छात्र जो बुक बैंक पुस्तकें लेने की पात्रता रखता है विवरणिका में संलग्न फार्म भरकर पुस्तकालय अधिकारी को पर्याप्त प्रमाण सहित देंगे। पुस्तकालय के उपयोग के लिये परिचय पत्र लाना आवश्यक है। जुलाई माह में फीस कार्ड और प्रवेश कार्ड भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

कौशल उन्नयन योजना :

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी में छात्रहित को ध्यान में रखकर कौशल उन्नयन योजना (National University Students skill Development [NUSSD] Programe) आरंभ किया गया है, जिसका एम.ओ.यू. हो चूका है जिसके अंतर्गत छात्र/छात्राओं को अध्ययन के साथ–साथ स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इसके साथ ही विगत वर्ष से आई.टी.आई. कोनी के प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न रोजगारन्मुख कार्यक्रम आरंभ किया जा चुका है।

एन.सी.सी (N.C.C)

महाविद्यालय में NCC अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 7 वीं बटालियन, बिलासपुर द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2015 को की गई जिसमें सीनियर डिवीजन एवं विंक SD/SW (छात्र/छात्रा) प्रभाग का गठन हुआ। यह एक अंतर्सेवी संगठन है जिसका उद्देश्य युवाओं में चरित्र, साहपर्थ, अनुशासन, समर्पण, नेतृत्व, धर्म निरपेक्ष, निस्वार्थ सेवा एवं नैतिक मूल्यों का संचार करना है। यह संगठित, प्रशिक्षित एवं प्रेरित युवाओं का मानव संसाधन तैयार करता है, जो भविष्य में सशस्त्र सेना को अपनी जिविका बना देश की सेवा के लिये सदैव तैयार रहे। NCC का ध्येय ‘‘ एकता और अनुशासन ’’ है जो हमें समय पाबन्द, कठोर परिश्रमी ईमानदारी एवं मुस्कराते हुये आज्ञा पालन करना सिखाती है। NCC में नामाकंन हेतु आयु 18 से 21 वर्ष रखी गई हैं। पंजीकृत छात्र/छात्रा 3 वर्ष में क्रमशः A,B,C सर्टिफिकेट की परीक्षा देगा एवं उत्तीर्ण होने पर विभिन्न रोजगार में प्रोत्साहन अंक एवं छात्रवृत्ति की योग्यतानुसार हकदार बनेगा।

नोट – नामांकन हेतु इच्छुक छात्र/छात्रा संबंधित विभाग में संपर्क करेंगें।

परिचय पत्र (Identity Card) :

1. परिचय पत्र महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा। ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी छात्र/छात्रा को प्राप्त हो सके।
3. परिचय पत्र सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्र/छात्रा का कर्तव्य हैं।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।

7. परिचय पत्र के खो जाने पर 10/– रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। परन्तु नया परिचय पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विधार्थियों के लिये

आचरण – संहिता

सामान्य नियम–

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विधाथियों को महाविद्यालय के निमयों का पालन करना होगा इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा

1. विधार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिये।
2. प्रत्येक विधार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विधार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विधार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वहन करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदाथों का सेवन सर्वधा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गन्दी बातें लिखना सख्त मना हैं। विधार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विधार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम–

1. प्रत्येक विषय में विधार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी/एन.एस.एस में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।

4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़–फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम–

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

2. अस्वस्थतावश आन्तरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।

3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र –

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्तकर दिया जावेगा।

2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिरोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपया जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सका हैं।

3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।

4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

5. म्हाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदने पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिये विशेष परिनियम :–

1. यह विशेष परिनियम विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर से रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा हैं।

2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा।

3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होग–
    1. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना।
    2. मनसिक आघात जैसे मानसिक क्लैश पहुंचना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना आदि।
    3. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना।
    4. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना, चिल्लाना आदि।

4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभाषक या कोई नागरिक अपनी शिकयत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालय में गठित प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे। इस बोर्ड में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप मे प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनित किये जायेंगे। इस हेतु प्रॉक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहुत की जायेगी। यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगे।

5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को देगा।

6. प्रॉक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दण्ड दिया जा सकेगा।
    1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासना
    2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।
    3. दोष छात्र को दण्ड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबंधित होगा।
    4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।

5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा। इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करना आवश्यक होगा।

अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रंमाक 83/98, बिलासपुर दिनांक 12.11.1998

प्रतिलिपि–

समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण एवं प्राचार्य, समस्त संबंद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ तथा इस आशय के साथ कि पूर्व में जारी अधिसूचना पृष्ठ क्रंमाक 49/98, बिलासपुर दिनांक 25.07.1998 को मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रंमाक 1343/98सी–3/98 दिनांक 25.04.1998 के परिप्रेक्ष्य में निरस्त माना जाये।

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिबंध अधिनियम :

राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और अनुसांगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियत –

परिभाषा –

क. रैगिंग से आम प्रवाह किसी छात्र का मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित बाध्य या अभदर्शित होता हो या किन्हीं विधि पूर्ण कार्य करने से प्रचरित करना, आपराधिक, दोषपूर्ण परिरोध या उसे पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोष पूर्ण अवरोध , दोष पूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

ख. ‘‘ शैक्षणिक संस्था’’ से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।

रैगिंग का प्रतिषेध :–

1. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

2. यदि कोई व्यक्ति धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो कि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माना से जो 5 हजार रूपये से अधिक से अधिक नहीं होगी या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

3. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. (अ) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ब) इस अधिनियम उपबंधे के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच एवं विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

छत्तीसगढ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2002

---

1. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था में प्रधान को छात्र के निष्कासन के अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्णित करने का अधिकार होगा।

2. किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा–4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था को निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

3. ऐसा छात्र जहो निष्कासित किया गया हो अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधनी सिद्ध दोष पाया गया हो , किसी अन्य शैक्षणिम संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रंमाक सी/455/21–अ (प्रारूपण)/2002– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्रं 27 सन् 2001) का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अतिरिक्त सचिव

शुल्क विवरण

कार्यालय प्राचार्य शासकीय पातालश्वर महाविद्यालय मस्तूरी , जिला–बिलासपुर छ.ग.
प्रवेश शुल्क विवरण सत्र 2018–19

क्रं.	मद	बी.ए. भाग–1	बी.ए. भाग–2	बी.ए. भाग–3	बी.एस.सी. –1	बी.एस.सी. –2	बी.एस.सी. –3	बी.काम. –1	बी.काम–2	बी.काम–3	एम.ए.पूर्व	एम.ए. पूव भूगोल	एम.ए. अंतिम	एम.ए. अंतिम	एम.कॉम. /एम.ए.पूर्व हि. व अ.शा.	एम.कॉम. / एम.ए.अंतिम हि. व अ.शा.	डी.सी.ए.	पी.जी.डी.सी.ए.	जनभागी दारी समिति	शासकीय	
		अशासकीय																		UG	PG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	अवधान राशि	100	0	0	100	0	0	60	0	0	100	200	0	0	100	0	100	200	0	0	0
2	वि.वि.छा.क.शु.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0
3	परिचय पत्र शु.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0
4	निर्धन छात्र शु.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0
5	सायकल स्टैंड	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0
6	चिकित्सा शु.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
7	पत्रिका शु.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0
8	नामांकन शु.	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
9	शा.क.शु.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0
10	वि.वि.छा.क.शु.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
11	छात्र क.शु.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
12	सुरक्षा बीमा यो..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	छात्र का.रूम.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0
14	महा.विकास शु.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0
15	सम्मिलित निधि	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0
16	सोशल गेदरिंग	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
17	युवा गतिविधि	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
18	रेडक्रास सोसा.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0
19	मूल्यांकन शु.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
20	शिक्षण शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	135
21	पुन : प्रवेश शु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
22	लेखन सामग्री	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
23	प्रयोगशाला शु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
24	टी.सी.शु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
25	जन. स.शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0
26	स्वतीय योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	10000	12000	0	0	0
27	पर्यावरण शुल्क	15	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	947	732	732	947	732	732	907	732	732	832	932	732	732	3832	3732	10932	13032	400	144	164

महाविद्यालय स्टाफ की सूची

प्राचार्य

डॉ. (श्रीमती) मंजू त्रिपाठी

कला संकाय

हिन्दी विभाग : स्नातकोत्तर एवं शोध केन्द्र

1.	डॉ. राजेश चतुर्वेदी	–	प्राध्यापक

अंग्रेजी विभाग :

1.	श्रीमती नीता जौहर	–	सहायक प्राध्यापक

राजनीति शास्त्र विभाग :

1.	डॉ. (श्रीमती) सुजाता सेमुअल	–	सहायक प्राध्यापक
2.	श्रीमती कान्ति अंचल	–	सहायक प्राध्यापक

अर्थशास्त विभाग :

1.	श्री बी.आर. खूंटे	–	सहायक प्राध्यापक

समाज शास्त्र विभाग : स्नातकोत्तर एवं शोध केन्द्र

1.	डॉ (श्रीमती) दुर्गा बाजपेयी	–	सहायक प्राध्यापक
2.	श्री बी.एल. मंडलोई	–	सहायक प्राध्यापक

भूगोल विभाग :

1.	श्री जे.एस. पैकरा	–	सहायक प्राध्यापक
2.	डॉ के.आर मतावले	–	सहायक प्राध्यापक

विज्ञान संकाय

1.	डॉ. डी.आर.साहू	–	प्राध्यापक (गणित)
2.	श्री. एल.के.निराला	–	सहायक प्राध्यापक (भौतिक शास्त्र)
3.	श्री.बी.एस.राज	–	सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र)
4.	श्री नवीन रेलवानी	–	सहायक प्राध्यापक(वनस्पति शास्त्र)
5.	डॉ किरण ठाकुर	–	सहायक प्राध्यापक(रसायन शास्त्र)

वाणिज्य संकाय

1.	डॉ डी.के. सिंह	–	सहायक प्राध्यापक

अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियां

1.	श्री मुकेश बिहारी घोरे	–	क्रीड़ा अधिकारी

गंथालय

1.	....	–	रिक्त

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)

कर्मचारियों की सूची

1.	श्री डी.के शुक्ला	–	सहा.ग्रेड–1
2.	श्री एम.आर कुर्रे	–	सहा.ग्रेड–1
3.	श्री ए.आर. भोंसले	–	सहा.ग्रेड–1
4.	श्री अनिल शर्मा	–	प्रयो. तकनीशियन
5.	श्री भूपेन्द्र सर्वे	–	प्रयो. तकनीशियन
6.	श्री सुनील कुमार यादव	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
7.	श्री एस.आर. पालके	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
8.	श्री बृजेश कोरी	–	प्रयोगशाला परिचालक
9.	श्री मुकेश नायक	–	प्रयोगशाला परिचालक
10.	श्री रोशन शेर	–	प्रयोगशाला परिचालक
11.	श्री प्रदीप खूंटे	–	प्रयोगशाला परिचालक
12.	कु. सुकन्या श्रीवास	–	प्रयोगशाला परिचालक
13.	श्री रामस्वरूप कैवर्त	–	बुक लिफटर
14.	श्रीमती कौशिल्या	–	स्वीपर
15.	श्री मनसाय मिरी	–	चौकीदार

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय
मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी
राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय
मस्तूरी, जिला : बिलासपुर (छ.ग.)
राष्ट्रीय सेवा योजना
सदभावना दिवस
पर आपका हार्दिक अभिनंदन है...

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

तमसो मा ज्योतिर्गमय

प्रवेश विवरणिका

सत्र - 2019-20

राष्ट्रीय सेवा योजना
शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
नैक द्वारा प्रदत्त "B" ग्रेड

sakshi

on
"RECENT TRENDS IN YOGA : SOCIOECONOMIC
SCIENTIFIC & GLOBAL PERSPECTIVE"
11 JANUARY, 2020
Organized By
IQAC & NAAC Committee
GOVERNMENT PATALESHWAR COLLEGE, MASTURI, DISTT.- BILASPUR (C. G.)
(Accredited with Grade 'B' by NAAC)

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला – बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड : 49551

Website – www.gpemasturi.com

प्रवेश विवरणिका

सत्र – 2019–20

आवेदन पत्र भरने से पूर्ण विवरणिका को ध्यान से पढे।

आवेदन फार्म में अपना संपर्क नं. अवश्य लिखें

महाविद्यालय का परिचय

बिलासपुर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर विकासखण्ड मुख्यालय, मस्तूरी में महाविद्यालय की स्थापना तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन के पूर्व शिक्षामंत्री माननीय स्व. श्री बंशीलाल धृतलहरे जी के अथक प्रयासों से सन् 16/19 अगस्त 1988 को की गई। स्थापना काल से सन् 30.10.2000 तक महाविद्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मस्तूरी में प्रातः कालीन पाली में संचालित होता रहा। छत्तीसगढ राज्य स्थापना 01 नवंबर 2000 से महाविद्यालय, शासन द्वारा प्रदत्त कोसमडीह रोड मस्तूरी में 15 एकड़ भूमि आबंटित की गई है, जिसमें सासंद/ विधायक मद, जनभागीदारी समिति कोष द्वारा निर्मित कक्ष एवं सभा भवन तथा यू.जी.सी अनुदान द्वारा निर्मित पुस्तकालय भवन में कला संकाय के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर का अध्यापन कार्य संचालित हो रहा है।

2006–07 में क्षेत्रीय विधायक एवं माननीय पूर्व उच्च शिक्षामंत्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, छत्तीसगढ शासन के अथक प्रयासों से महाविद्यालय के नवीन भवन का प्रस्ताव पारित हुआ, तदनुसार लगभग 76.59 लाख रूपये की लागत से महाविद्यालय भवन लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर द्वारा निर्मित कराया गया है। जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, छत्तीसगढ शासन द्वारा विकास यात्रा के दौरान दिनांक 13 जून 2008 को किया गया।

सत्र 2008–09 में महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ हुआ हैं। अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखण्ड मस्तूरी में स्थापित महाविद्यालय स्थापना काल से आज पर्यन्त अध्ययन, अध्यापन, पुस्तकालय, क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना, भौतिक संसाधन के माध्यम से भावी नागरिकों का सर्वागीण विकास कर रहा है।

महाविद्यालय जब प्रारंभ हुआ था उस समय छात्रों की संख्या 07 थी। महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। महाविद्यालय में परीक्षाफल अच्छा रहता है। महाविद्यालय के छात्र–छात्रायें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवायें दे रहे हैं।

पातालेश्वर जी का संक्षिप्त इतिहास

बिलासपुर से 30 एवं मस्तूरी से 13 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण– पश्चिम में स्थित मल्हार दक्षिण कोसल की यह ऐतिहासिक एवं पावन नगर कल्चुरी कालीन मंदिरों के लिये प्रसिद्ध हैं। मल्हार में कल्चुरी कालीन (900 ई. से 1300 ई.) पातालेश्वर मंदिर स्थित है। भूमिज शैली के बने इस मंदिर की आधार पीठिका 108 कोणों वाली है। मंदिर के मण्डप का चबूतरा भूमि से लगभग 6 फुट उंचा हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार एवं बाह्य– आंतरिक भागों में विभिन्न देवी –देवताओं की प्रतिमाएं अंकित है। पातालेश्वर जी का गर्भगृह एक तलघर की तरह है नीचे पहुंचने के लिये कुछ सीढ़िया उतरनी पड़ती है। गर्भगृह में भगवान शिव की विलक्षण प्रतिमा गोमुखी आकार–प्रकार के सुंदरी काले चमकदार पत्थर वाली जलहरी के मध्य त्रिकोणाकृत में अवस्थित है, इस मूर्ति में जितना भी जल चढाया जाये अंदर समाहित हो जाता है। एक विशेष प्रकोष्ठ में अवस्थित शिवलिंग पातालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं।

कल्चुरियों के शासन में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात था। हाल में खुदाई के दौरान पाये गये पुरावशेषों में वर्तमान में यह पुरातात्विक महत्व स्थल बन गया हैं। इस क्षेत्र में खुदाई के दौरान देउर डिंडेश्वरी, पातालेश्वर, चतुर्भुजी विष्णु तथा अनेक बौद्ध और जैन सम्प्रदाय की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। खुदाई से प्राप्त चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा संभवतः दूसरी सदी की हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार क स्तम्भ में गंगा–यमुना और शिव–पार्वती विवाह के प्रसंग उत्कीर्ण हैं। इसकी आधारीय सतह पर तराशे गये युद्धरत हाथियों का चित्रण बाहरी दीवारों तक किया गया हैं। यहां से प्राप्त अनेक भग्नावशेष ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के हैं।

प्राचार्य की कलम से ....

ईश्वर से सृष्टि की रचना की और मनुष्य इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना हैं, ईश्वर ने हमें सोचने एवं समझने की शक्ति प्रदान की है। यह हम पर निर्भर है कि इस शक्ति का प्रयोग हम किस तरह करते है। जीवन में सफल होने एवं निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये समय की पाबंदी एवं संयम का होना आवश्यक है। अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है।

आपके उज्जवल भविष्य के लिये एवं आपके शैक्षणिक स्तर को उच्च से उच्चतर बनाने हेतु हमारा महाविद्यालय परिवार आपकी हर संभव मदद हेतु प्रस्तुत है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के रूप में आप सेवाभावी आदर्श नागरिक बनकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। रेडक्रास के सहयोगी बनकर जल कल्यार्थ वैश्विक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं भाषण, लेखन आदि के द्वारा आप अपनी प्रतिभा को उंचा करने का सतत् प्रयास कर सकते हैं।

स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस हेतु महाविद्यालय में शारीरिक व्यायाम के लिये जिम खाना एवं अन्य खेल गतिविधियाँ संचालित हैं।

अध्ययन, मनन धारण, लेखन सब आपको करना है। हम पुस्तकें, समाचार, पत्र पत्रिकायें प्रायोगिक सुविधायें, खेलकूद सामग्री एवं अध्यापन की उत्तम व्यवस्था द्वारा हर संभव मदद करेंगे। हम चाहते है कि छात्र अनुशासन लगन एवं अध्ययन के साथ शैक्षेणेत्तर गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जनभागीदारी समिति के सुयोग्य सहयोग से महाविद्यालय को समृद्ध एवं विकासवान बनाने का प्रयास करेंगे।

महाविद्यालय में अ.ज.जा एवं पिछड़े वर्ग हेतु शासन द्वारा देय छात्र–वृत्तियों भी है। स्वाध्यायी छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक सुविधायें यहॉ अल्प राशि में उपलब्ध हैं। महाविद्यालय स्तर पर बनी समितियों आपकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ महाविद्यालय में स्वगत करते हैं।

डॉ. (श्रीमती) मंजू त्रिपाठी
प्राचार्य

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर
पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय

1. बी.ए. प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. पर्यावरण विज्ञान – स्नातक प्रथम वर्ष हेतु

स. ऐच्छिक विषय – निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें। वि.वि. द्वारा परिवर्तन संभावित हैं।

1. समाज शास्त्र	2. अर्थशास्त्र
3. राजनीति शास्त्र	4. हिन्दी साहित्य
5. अंग्रेजी साहित्य	6. भूगोल

बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षो के लिये विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2. बी.ए द्वितीय का पाठ्यक्रम –

बी.ए. पूर्व में हीं विषय लेने होंगे, जो बी.ए.प्रारंभिक में लिये गये थे।

3. बी.ए. तृतीय का पाठ्यक्रम –

बी.ए. तृतीय में वे ही विषय होंगे जो बी.ए.पूर्व में लिये गये हो एवं महाविद्यालय के विषय समूह के अंतर्ग हो।

3. स्नातकोत्तर कक्षाएं (एम.ए)

कला निकाय के निम्नलिखित विषयों के स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है –

1. राजनीति शास्त्र 2. समाज शास्त्र 3. भूगोल

4. स्ववित्तीय मद थे –

1. डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए 2. एम.ए.हिन्दी. 3. एम.ए.अर्थशास्त्र

विज्ञान संकाय
प्राणीशास्त्र

1. बी.एस.सी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब. पर्यावरण विज्ञान – स्नातक प्रथम वर्ष हेतु
स. ऐच्छिक विषय – निम्नांकित विषयों समूहों में से कोई एक समूह –
जीव विज्ञान – प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र
गणित – भौतिक शास्त्र गणित एवं रसायन शास्त्र

2. बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष –

बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में लिये गये विषय ही लेने होंगे।

3. बी.एस.सी. तृतीय वर्ष –

बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष में लिये गये विषय ही लेने होंगे।

वाणिज्य संकाय

1. बी. काम प्रथम वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय – आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा

ब. पर्यावरण विज्ञान – स्नातक प्रथम वर्ष हेतु

स. अनिवार्य समूह –
1. वित्तीय लेखांकन एवं व्यायसायिक गणित
2. व्यावसायिक संचार एवं व्यावसायिक नियन रूप रेखा
3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

2. बी.काम. द्वितीय वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय – आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा

ब. अनिवार्य समूह –
1. निगमित लेख एवं लागत लेखांकन
2. व्यावसायिक सांख्यिकी एवं उद्यमिता के मूलतत्व
3. व्यवसाय प्रबंध एवं कंपनी अधिनिमय

3. बी.काम. तृतीय वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय – आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा

ब. अनिवार्य समूह –

	वैकल्पिक
1. आयकर (प्रत्यक्ष कर)	1. वित्तीय प्रबंध
2. अप्रत्यक्ष कर	2. वित्तीय बाजार संचालन
3. प्रबंधकीय लेखंकर	
4. अंकेक्षण	

अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियां

1. क्रीड़ा विभाग

श्री मुकेश बिहारी घोरे – क्रीड़ा अधिकारी

2. राष्ट्रीय सेवा योजना

श्रीमती कांति अंचल – कार्यक्रम अधिकारी

3. एन.सी.सी.

श्रीमती नीता जौहार – केयर टेकर

4. युवा रेडक्रास

श्री. डी.के.सिंह – प्रभारी प्राध्यापक

5. कौशल विभाग योजना –

डॉ. सुजाता सैमुअल – प्रभारी प्राध्यापक

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में
प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत 2013–14
(2016–17 के लिये शासन द्वारा प्रवेश नियमों में जो संशोधन किया जायेगा वह लागू होगा)

1. **प्रयुक्ति –**

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से हैं।

2. **प्रवेश की तिथि :–**

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिये प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जावेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी जायेगी। प्रवेश बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वंय तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश का अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित न होने की तिथि 15 दिन तक, जो भी पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावे, किन्तु इसके लिये कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब यह प्रवेश लेना चाहता है कि, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहां इसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता

2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मुल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुर्नमूंल्याकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोगी हेतु योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा '' उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करे।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौन्सिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनसार अधिमतम 80 विद्याथियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। संबद्ध विश्वविद्यालय/स्वशायी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया हैं। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्हीं निर्धातिर विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुय, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची,प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने वाले एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया '' की मोहर लगाकर उसे रदद् करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश शुल्क विलंब शुल्क 100/– रूपये अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा तथापित ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटतम पुलिस थाने मे एफ.आई.आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र का अनुक्रंमाक एवं दिनाकं का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्याालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपीनय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया हैं।

4.7 छत्तीसगढ़ शाासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रंमाक 2563/2014/38–1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार '' राज्य शासन, एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है '' का पालन किया जाये।

5. प्रवेश की पात्रता –

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमि. कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वद्यिालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

5.2 स्नातकोत्तर स्तर, नियमित प्रवेश :

(क) बी.कॉम/बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. कॉम/एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी/एम.ए पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms)

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदको का प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर मे ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय, नियमित प्रवेश –

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी परीक्षा की यहीं प्रकिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTC/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNSIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन कर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीखा –

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई) , इण्डियन कॉसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इन्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षायें मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनबीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framwork) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलो के लिये अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रंमाक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार–

‘‘ जैसा कि आपको ज्ञात है कि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया हैं।

जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गाय है यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोडों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमो में दाखिलो के लिये प्रयास किये जा रहे हों तो उन छात्रो के क्षैतिजिक गत्यात्यकता के लिये सुअवसर मिल सके।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश –

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए/बी.कॉम/बी.एस.सी/बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वाशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जावे।

7.2 छ.ग. से बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालयें से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय,तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य हैं।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता –

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा–

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में एक पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेन्ट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थयी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में निर्धारित एग्रीमेट 48प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थयी प्रवेश, नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हतायें–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी भी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओ को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे यह प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने का गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 महाविद्यालय में तोड–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओ को प्राचार्य प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिये अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवायें एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जावे। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का बन्धन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों , भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष में अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड.) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/निःशक्त अभ्यर्थी/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसके दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण –

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिकार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम की सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता –

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 प्रतिशत एग्रीमेंट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या उसके आसपास के अन्य जिले के सर्मीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुये उस विषय/विषय समूह के प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुये प्रवेश दिया जावे। आवेदकों के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आस–पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आनेपर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण –

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों को आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् –

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गो के लिय आरक्षित रहेगीं।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी, परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशष वर्गो के संबंध में क्षतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधियूचित किया जाये तथा यह बिन्दु क्र 12.1 के खण्ड(क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंग। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अंको को अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगीं, परन्तु यदि ऐसी विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जावेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू –कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाये तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतय लिंक के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रंमाक डब्ल्यू. पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – " We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions ans for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाये।

13. अधिभार –

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु उसका उपयोग नहीं किया जाये। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्माधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस/स्काउट्स –

स्काउद्स शब्द को स्काउट्स/गाइडस/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ मे पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. 'ए' सटिफिकेट	–	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. 'बी' सटिफिकेट द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	–	03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सटिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	–	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	–	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतन्त्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी/ एन.एस.एस कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को	–	05 प्रतिशत
(छ)	राल्यपाल स्काउट्स	–	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	–	10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	–	10 प्रतिशत
(य)	डयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	–	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोगाम भाग लेने वाले कैडेट एन.सी.सी/एन.एस.एस. के लिये चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित करने वाल विद्यार्थी को	–	10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर – 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज रूपांकन प्रतियोगितायें–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अन्तर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 04 प्रतिशत

(2) उर्पयुक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में–

- (क) प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सककार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में–

क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	–	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	–	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	–	10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यक, कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को – 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(क) छ.ग./म.प्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को	–	10 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम	–	12 प्रतिशत

13.6 जम्मू –कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन –

छत्तीसगढ़ राज्य महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी/खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी. सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जावे, जिनकी उन्हें पात्रता हैं कि–

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिये उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगें।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रंमाक निर्धारित किया जायेगा।। अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी। जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र –

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोघ छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोघ छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोघ कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोइ्र शिक्षक यदि शोघ छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाणपत्र पर प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हाने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोघ शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोघ छात्र ऐसी संस्था में अपना शोघ कार्य चालू रख सकते है, जहां से उनका शोघ आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोघ कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोघ छात्र का शोघ प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष–

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानी वश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जोने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीपह या अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकारण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तत /संशोधन/निरसन/संलग्न करने का पूर्ण अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

टीपः– शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

टीप – शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

शिक्षण संस्था की विवरणिका

<u>प्रवेश तिथि :–</u>

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र–छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिये उपस्थित होना अनिवार्य हैं। प्रवेश समिति द्वारा छात्रों की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र–छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा।

प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्र/छात्रा को 24 घंटे के भीतर अथवा निर्दिष्ट समय में प्रवेश शुल्क देना होगा।

<u>प्रवेश पात्रता :–</u>

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र–छात्रा प्रवेश पा सकेंगे–

1. <u>बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–1</u>
   माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12 वीं उत्त्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्त्तीर्ण हो।
2. <u>बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–2</u>
   क. बी.ए. बी.काम एव ंबी.एस.सी. भाग–1 की परीक्षा उत्त्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्त्तीर्ण हो।
3. <u>बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–3</u>
   क. बी.ए. बी.काम एव ंबी.एस.सी. भाग–2 की परीक्षा उत्त्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्त्तीर्ण हो।
4. <u>एम.ए.पूर्व</u>
   क. विश्वविद्यालय की बी.ए. बी.काम एव ंबी.एस.सी. भाग–3 की परीक्षा उत्त्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्त्तीर्ण हो।
5. <u>एम.ए.अंतिम</u>
   क. विश्वविद्यालय की एम.ए पूर्व की परीक्षा उत्त्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्त्तीर्ण हो।

<u>प्रवेश नियम</u> (Admission Rules) :–

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य हैं।
2. आवेदन पत्र के साथ निम्नालिखित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।
   (1) स्थानांतरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate)
   (2) अंकसूची (अंतिम परीक्षा दो प्रतियों) में अभिप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि/फोटो स्टेट कापी।

(3) चरित्र प्रमाण (Character Certificate) नियमित छात्रों को पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित चरित पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिये किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।

(4) प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) मूल प्रति बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिये।

(5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) पासपोर्ट आकार के दो चित्र।

(7) जाति प्रमाण पत्र, केवल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।

(8) जन्मतिथि प्रमाण पत्र, इसके लिये उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी।

नोट :–

1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेष सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जावेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जावेगी।

3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।

4. छात्र का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिये अपात्र घोषित कर सकते हैं।

5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा। महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दें।

6. जिस छात्र को प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिये।

7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिये, जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंक सूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र/छात्रा को 5/– रु. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ–पत्र (Affidavit) देकर नत्थी करना होगा।

8. छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शायें स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।

प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत :–

1. महाविद्यालय के प्रवेश की अधिकतम संख्या स्थानादि सुविधा क आधार पर निर्धारित की जावेगी।

2. प्रवेश गुणानुक्रम के अनुसार दिया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये स्थान आरक्षित होंगे।

3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक सुवितायें मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिये हैं।

4. महाविद्यालय प्रवेश में एक विशेषाधिकार है जिसे निष्ठापूर्वक कार्य एवं सदाचार अर्जित किया जाना चाहिये।

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी खुले द्वारा की नीति समाप्त कर दी गई हैं। उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्तर पर प्रवेश निर्धारित किया जाता हैं।

प्रवेश सीमा : (सीटों की संख्या)

(स्नातक स्तर)

बी.ए.भाग – एक	–	140	बी.एस.सी (बायोलाजी)	–	40
बी.ए.भाग – दो	–	140	भाग– 1,2 एवं 3		
बी.ए.भाग – एक	–	140	बी.एस.सी (गणित)	–	40
बी.काम.भाग– 1	–	60			
बी.काम.भाग– 2	–	60			
बी.काम.भाग– 3	–	60			

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

डी.सी.ए	–	40
पी.जी.डी.सी.ए	–	40

(स्नातकोत्तर स्तर)

		पूर्व	अंतिम
राजनीति शास्त्र	–	20	20
समाज शास्त्र	–	20	20
भूगोल	–	20	20
हिन्दी साहित्य	–	25	25
अर्थशास्त्र	–	20	20
एम. कॉम	–	20	20

शुल्क विनियम :–

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।

2. एक बाद किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क देना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले महाविद्यालय छोड़ दें।

3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।

4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिये। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।

5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालय शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोडने हेतु नियम :–

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।

(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

(द) महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।

(च) निःशेष प्रमाण–पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र या आचरण प्रमाण– पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/– रूपये जमा करना होगा।

(ज) समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जावेगी।

विश्वविद्यालय नामांन : (नवीन छात्रों हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भरकर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र/छात्राओं का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय अवधि में भरना होगा।

महाविद्यालय संबंधी अन्य जानकारियां

ग्रंथालय विभाग :

महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रन्थालय है। ग्रन्थालय में विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकायें एवं शोध, जर्नल्स मंगाये जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने की बुक बैंक योजना कार्यान्वित की जाती हैं, जिसके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को सत्रान्त तक छात्रों के बीच एक सेट पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं जिन्हें परीक्षा उपरान्त वापस लिया जाता है। सामान्य छात्र/छात्राओं को नियमानुसार ग्रन्थालय से पुस्तकें प्रदान की जाती है।

1. पुस्तकालय से पुस्तकों का निर्गमन तथा वापस लेना ग्रन्थालय के नियंत्रण में रहता है, जिसके लिये उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। नियमोल्लंघन करने पर छात्र दण्डित होंगे।
2. ग्रन्थालय में विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं के गठन की सुविधा हैं।
3. ग्रंथालय में महाविद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं को 15 दिनों के लिये दो पुस्तकें निर्गमित की जावेगी।
4. ग्रंथालय से ली गई पुस्तक यदि 15 दिनों के बाद लौटाई गई तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन 1/– के हिसाब से अर्थदण्ड देय होगा। जिसका भुगतान शिक्षण शुल्क की किश्त के साथ अनिवार्य रूप से करना होगा।

शुल्क मुक्ति एवं अन्य सुविधायें :

छत्तीसगढ शासन द्वारा अन्य नियमों के अनुसार छात्रों की शुल्क आदि में निम्नलिखित सुविधायें भी जाती है, जिसे नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालय में लागू किया गया है।

1. कृषक के पुत्र/पुत्रियों को सुविधा –

निम्न आय वाले कृषक के पुत्र/पुत्रियों को अध्ययन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जाती है, यह सुविधा केवल उन्हीं कृषकों के पुत्र/पुत्रियों को उपलब्ध हो सकती है जो 500/– से अधिक मालगुजारी न देते हों। ऐसी सुविधा प्राप्त करने से इच्छुक छात्र अपना आवेदन पत्र निम्नांकित प्रमाण पत्रों के साथ प्राचार्य के पास प्रस्तुत करें।

2. भातृ/भागिनी सुविधा –

यदि महाविद्यालय में दो या अधिक भाई/बहिन नियमित छात्र हो तो बड़े को पूर्ण शुल्क देना होगा। इसके लिये छात्र प्रवेश के तुरंत बाद आवेदन करें।

3. शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये सुविधा–

(अ) शासकीय कर्मचारियों के पृत्र/पुत्रियों की सुविधा/चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा सभी वर्ग के मृत कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर तक माफ रहेगा। माता–पिता का सेवा प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

(ब) 1800/– रूपये तक वेतन प्राप्त करने वाले द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति मिलती हैं।

1. ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रपत्र भरकर माता/पिता के विभागीय प्रमुख के प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश के समय प्रस्तुत करना चाहिये
2. यह सुविधा किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को नहीं मिलती परंतु उत्तीर्ण हो जाने पर दूसरी कक्षा में पुनः प्राप्त हो सकती हैं।
3. स्दाचार नियमित उपस्थिति एवं संतोषजनक प्रगति के आधार पर ही सुचिधा चालू रहेगी। हड़ताल एवं अन्य विध्वंसक कार्यो में भाग लेने वाले छात्रों से यह सुविधा वापस ले ली जावेगी।

4. छात्र सहायता निधि –

योग्य तथा निर्धन छात्रों सहायता निधि से पुस्तक आदि क्रय करने के लिये सहायता दी जाती है।

उपस्थिति :

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय/एन.एस.एस. में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में वह विश्वविद्यालय परीक्षाओं से वंचित हो सकता हैं।

समय–समय पर उपस्थिति के आंकड़ो की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। तत्संबंधी जानकारी उन्हें प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क साधकर प्राप्त करते रहना चाहिये। उपस्थिति में कमी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थी या उनके पालकों को सूचना देने के लिये उत्तरदायित्व नहीं है।

जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 15 नवंबर तक 60 प्रतिशत से कम होगी, उनके परीक्षा के आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जावेंगे।

महाविद्यालयीन परीक्षाएं :

विद्यार्थियों को कक्षा में ली जाने वाली अतिरिक्त परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य हैं। प्राचार्य के पूर्व अनुमति के बिना परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्कक कार्यवाही की जावेगी।

संस्था में उपलब्ध खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी :

महाविद्यालय में प्रशिक्षित क्रीड़ाधिकारी के निर्देशन में विभिन्न खेलों की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख रूप से बास्केटबाल, फुटबाल, व्हालीबाल, क्रिकेट, कबड्डी, बैड़मिंटन, खो–खो, एथलेटिक्स, शतरंज, कैरम, वेट लिफ्टींग, कुश्ती आदि खेल प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में संपन्न कराये जाते हैं। इसमें महाविद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ी विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर में अपनी प्रतिभा का और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। छात्रों के शारीरिक विकास हेतु सर्व सुविधायुक्त आधुनिक जिम खाना स्थापित है।

विद्यार्थी सहायता कोष :

यू.जी.सी द्वारा बनाये गये नियमों और निर्देशों के अनुसार इस कोष की स्थापना की गई हैं। इसका उद्देश्य निर्धन तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक आदि के रूप लघु आवश्यकताऔं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देना हैं।

सायकल स्टेण्ड :

महाविद्यालय में सायकल स्टेण्ड की व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यार्थियों से पूरे सत्र के लिये 75/– रूपये स्टेण्ड के रख–रखाव हेतु लिया जाता है। सभी सायकल स्टेण्ड पर ही रखीं जायेगी। कोई भी विद्यार्थी बरामदा या कमरों पोर्च आदि में सायकल रखने पर दण्ड का भागी होगा। अन्यत्र सायकल रखने पर अगर गुम होतीं है तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।

अनुशासन व्यवस्था एवं प्राक्टोरियल बोर्ड :

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के मामलों की जांच एवं निर्णय के लिये एक प्राक्टोरियल बोर्ड रहेगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस) :

महाविद्यालय में एन.एस.एस की संयुक्त 100 स्वंय सेवकों की इकाई कार्यरत है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शहरी बस्तियां और ग्रामों में समाज सेवा के कार्य करने होते हैं। 240 घण्टे की सेवा करने पर विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र मिलता है। समाज सेवा के अंतर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत, प्राथमिकता उपचार आदि कार्य करने होते है। वार्षिक शिविर भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उपस्थित अनिवार्य है।

रेडक्रास सोसायटी :

महाविद्यालय में एक पुरूष और एक महिला इकाई कार्यरत है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सेवा के कार्य का प्रशिक्षण उपचार की जानकारी, रक्त वर्ग परीक्षण, रक्तदान हेतु प्रोत्साहन दिया जाता हैं।

बुक बैंक :

यू.जी.सी एवं शासन की सहायता से निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक का गठन किया गया है, जिससे विद्याथियों को संपूर्ण सत्र के लिये पुस्तके दी जाती है।

नोट :– ऐसे छात्र जो बुक बैंक पुस्तकें लेने की पात्रता रखता है विवरणिका में संलग्न फार्म भरकर पुस्तकालय अधिकारी को पर्याप्त प्रमाण सहित देंगे। पुस्तकालय के उपयोग के लिये परिचय पत्र लाना आवश्यक है। जुलाई माह में फीस कार्ड और प्रवेश कार्ड भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

कौशल उन्नयन योजना :

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी में छात्रहित को ध्यान में रखकर कौशल उन्नयन योजना (National University Students skill Development [NUSSD] Programe) आरंभ किया गया है, जिसका एम.ओ.यू. हो चूका है जिसके अंतर्गत छात्र/छात्राओं को अध्ययन के साथ–साथ स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इसके साथ ही विगत वर्ष से आई.टी.आई. कोनी के प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न रोजगारन्मुख कार्यक्रम आरंभ किया जा चुका है।

एन.सी.सी (N.C.C)

महाविद्यालय में NCC अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 7 वीं बटालियन, बिलासपुर द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2015 को की गई जिसमें सीनियर डिवीजन एवं विंक SD/SW (छात्र/छात्रा) प्रभाग का गठन हुआ। यह एक अंतर्सेवी संगठन है जिसका उद्देश्य युवाओं में चरित्र, साहपर्थ, अनुशासन, समर्पण, नेतृत्व, धर्म निरपेक्ष, निस्वार्थ सेवा एवं नैतिक मूल्यों का संचार करना है। यह संगठित, प्रशिक्षित एवं प्रेरित युवाओं का मानव संसाधन तैयार करता है, जो भविष्य में सशस्त्र सेना को अपनी जिविका बना देश की सेवा के लिये सदैव तैयार रहे। NCC का ध्येय ‘‘ एकता और अनुशासन ’’ है जो हमें समय पाबन्द, कठोर परिश्रमी ईमानदारी एवं मुस्कराते हुये आज्ञा पालन करना सिखाती है। NCC में नामाकंन हेतु आयु 18 से 21 वर्ष रखी गई हैं। पंजीकृत छात्र/छात्रा 3 वर्ष में क्रमशः A,B,C सर्टिफिकेट की परीक्षा देगा एवं उत्तीर्ण होने पर विभिन्न रोजगार में प्रोत्साहन अंक एवं छात्रवृत्ति की योग्यतानुसार हकदार बनेगा।

नोट – नामांकन हेतु इच्छुक छात्र/छात्रा संबंधित विभाग में संपर्क करेंगें।

परिचय पत्र (Identity Card) :

1. परिचय पत्र महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा। ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी छात्र/छात्रा को प्राप्त हो सके।
3. परिचय पत्र सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्र/छात्रा का कर्तव्य हैं।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।

7. परिचय पत्र के खो जाने पर 10/– रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। परन्तु नया परिचय पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विधार्थियों के लिये

आचरण – संहिता

सामान्य नियम–

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विधाथियों को महाविद्यालय के निमयों का पालन करना होगा इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा

1. विधार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिये।
2. प्रत्येक विधार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विधार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विधार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वहन करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदाथों का सेवन सर्वधा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गन्दी बातें लिखना सख्त मना हैं। विधार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विधार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम–

1. प्रत्येक विषय में विधार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी/एन.एस.एस में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।

4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़–फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम–

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

2. अस्वस्थतावश आन्तरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।

3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र –

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त्कर दिया जावेगा।

2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिरोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपया जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सका हैं।

3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।

4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

5. म्हाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदने पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिये विशेष परिनियम :–

1. यह विशेष परिनियम विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर से रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा हैं।

2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा।

3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होग–

   1. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना।
   2. मनसिक आघात जैसे मानसिक क्लैश पहुंचना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना आदि।
   3. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना।
   4. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना, चिल्लाना आदि।

4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभाषक या कोई नागरिक अपनी शिकयत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालय में गठित प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे। इस बोर्ड में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप मे प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनित किये जायेंगे। इस हेतु प्रॉक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहुत की जायेगी। यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगे।

5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को देगा।

6. प्रॉक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दण्ड दिया जा सकेगा।

   1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासना
   2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।
   3. दोष छात्र को दण्ड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबंधित होगा।
   4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।

5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा। इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करना आवश्यक होगा।

अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमाक 83/98, बिलासपुर दिनांक 12.11.1998

प्रतिलिपि–

समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण एवं प्राचार्य, समस्त संबंद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ तथा इस आशय के साथ कि पूर्व में जारी अधिसूचना पृष्ठ क्रमाक 49/98, बिलासपुर दिनांक 25.07.1998 को मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमाक 1343/98सी–3/98 दिनांक 25.04.1998 के परिप्रेक्ष्य में निरस्त माना जाये।

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिबंध अधिनियम :

राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और अनुसांगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियत –

परिभाषा –

क. रैगिंग से आम प्रवाह किसी छात्र का मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित बाध्य या अभदर्शित होता हो या किन्हीं विधि पूर्ण कार्य करने से प्रचरित करना, आपराधिक, दोषपूर्ण परिरोध या उसे पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोष पूर्ण अवरोध , दोष पूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

ख. ‘‘ शैक्षणिक संस्था’’ से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।

रैगिंग का प्रतिषेध :–

1. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

2. यदि कोई व्यक्ति धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो कि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माना से जो 5 हजार रूपये से अधिक से अधिक नहीं होगी या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

3. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. (अ) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ब) इस अधिनियम उपबंधे के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच एवं विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

छत्तीसगढ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2002

---

1. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था में प्रधान को छात्र के निष्कासन के अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्णित करने का अधिकार होगा।

2. किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा–4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था को निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

3. ऐसा छात्र जहो निष्कासित किया गया हो अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधनी सिद्ध दोष पाया गया हो , किसी अन्य शैक्षणिम संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रंमाक सी/455/21–अ (प्रारूपण)/2002– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्रं 27 सन् 2001) का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अतिरिक्त सचिव

शुल्क विवरण

कार्यालय प्राचार्य शासकीय पातालश्वर महाविद्यालय मस्तूरी , जिला–बिलासपुर छ.ग.
प्रवेश शुल्क विवरण सत्र 2019–20

क्रं.	मद	बी.ए. भाग–1	बी.ए. भाग–2	बी.ए. भाग–3	बी.एस.सी. –1	बी.एस.सी. –2	बी.एस.सी. –3	बी.काम. –1	बी. काम–2	बी. काम–3	एम.ए.पूर्व	एम.ए. पूव भूगोल	एम.ए. अंतिम	एम.ए. अंतिम	एम.कॉम. /एम.ए.पूर्व हि. व अ.शा.	एम.कॉम./ एम.ए.अंतिम हि. व अ.शा.	डी.सी.ए.	पी.जी.डी.सी.ए.	जनभागी दारी समिति	शासकीय	
					अशासकीय															UG	PG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	अवधान राशि	100	0	0	100	0	0	60	0	0	100	200	0	0	100	0	100	200	0	0	0
2	वि.वि.छा.क.शु.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0
3	परिचय पत्र शु.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0
4	निर्धन छात्र शु.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0
5	सायकल स्टैंड	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0
6	चिकित्सा शु.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
7	पत्रिका शु.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0
8	नामांकन शु.	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
9	शा.क.शु.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0
10	वि.वि.छा.क.शु.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
11	छात्र क.शु.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
12	सुरक्षा बीमा यो..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	छात्र का.रूम.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0
14	महा.विकास शु.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0
15	सम्मिलित निधि	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0
16	सोशल गेदरिंग	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
17	युवा गतिविधि	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
18	रेडक्रास सोसा.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0
19	मूल्यांकन शु.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
20	शिक्षण शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	135
21	पुन : प्रवेश शु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
22	लेखन सामग्री	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
23	प्रयोगशाला शु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
24	टी.सी.शु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
25	जन. स.शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0
26	स्वतीय योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	10000	12000	0	0	0
27	पर्यावरण शुल्क	15	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	947	732	732	947	732	732	907	732	732	832	932	732	732	3832	3732	10932	13032	400	144	164

महाविद्यालय स्टाफ की सूची

प्राचार्य

डॉ. (श्रीमती) मंजू त्रिपाठी

कला संकाय

हिन्दी विभाग : स्नातकोत्तर एवं शोध केन्द्र

1. डॉ. राजेश चतुर्वेदी – प्राध्यापक

अंग्रेजी विभाग :

1. श्रीमती नीता जौहर – सहायक प्राध्यापक

राजनीति शास्त्र विभाग :

1. डॉ. (श्रीमती) सुजाता सेमुअल – सहायक प्राध्यापक
2. श्रीमती कान्ति अंचल – सहायक प्राध्यापक

अर्थशास्त विभाग :

1. श्री बी.आर. खूंटे – सहायक प्राध्यापक

समाज शास्त्र विभाग : स्नातकोत्तर एवं शोध केन्द्र

1. डॉ (श्रीमती) दुर्गा बाजपेयी – सहायक प्राध्यापक
2. श्री बी.एल. मंडलोई – सहायक प्राध्यापक

भूगोल विभाग :

1. श्री जे.एस. पैकरा – सहायक प्राध्यापक
2. डॉ के.आर मतावले – सहायक प्राध्यापक

विज्ञान संकाय

1. डॉ. डी.आर.साहू – प्राध्यापक (गणित)
2. श्री. एल.के.निराला – सहायक प्राध्यापक (भौतिक शास्त्र)
3. श्री.बी.एस.राज – सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र)
4. श्री नवीन रेलवानी – सहायक प्राध्यापक(वनस्पति शास्त्र)
5. डॉ किरण ठाकुर – सहायक प्राध्यापक(रसायन शास्त्र)

वाणिज्य संकाय

1. डॉ डी.के. सिंह – सहायक प्राध्यापक

अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियां

1. श्री मुकेश बिहारी घोरे – क्रीड़ा अधिकारी

गंथालय

1. .... – रिक्त

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)

कर्मचारियों की सूची

1.	श्री डी.के शुक्ला	–	सहा.ग्रेड–1
2.	श्री एम.आर कुर्रे	–	सहा.ग्रेड–1
3.	श्री ए.आर. भोंसले	–	सहा.ग्रेड–1
4.	श्री अनिल शर्मा	–	प्रयो. तकनीशियन
5.	श्री भूपेन्द्र सर्वे	–	प्रयो. तकनीशियन
6.	श्री सुनील कुमार यादव	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
7.	श्री एस.आर. पालके	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
8.	श्री बृजेश कोरी	–	प्रयोगशाला परिचालक
9.	श्री मुकेश नायक	–	प्रयोगशाला परिचालक
10.	श्री रोशन शेर	–	प्रयोगशाला परिचालक
11.	श्री प्रदीप खूंटे	–	प्रयोगशाला परिचालक
12.	कु. सुकन्या श्रीवास	–	प्रयोगशाला परिचालक
13.	श्री रामस्वरूप कैवर्त	–	बुक लिफटर
14.	श्रीमती कौशिल्या	–	स्वीपर
15.	श्री मनसाय मिरी	–	चौकीदार

NATIONAL SEMINAR
on

IQAC & NAAC Committee

C.M.C
11

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

तमसो मा ज्योतिर्गमय

प्रवेश विवरणिका

सत्र - 2020-21

राष्ट्रीय सेवा योजना
शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

sakshi

on
"RECENT TRENDS IN YOGA : SOCIOECONOMIC SCIENTIFIC & GLOBAL PERSPECTIVE"
11 JANUARY, 2020
Organized By
IQAC & NAAC Committee
GOVERNMENT PATALESHWAR COLLEGE, MASTURI, DISTT.- BILASPUR (C. G.)
(Accredited with Grade 'B' by NAAC)

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला – बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड : 49551

Website – www.gpemasturi.com

प्रवेश विवरणिका

सत्र – 2020–21

आवेदन पत्र भरने से पूर्ण विवरणिका को ध्यान से पढे।

आवेदन फार्म में अपना संपर्क नं. अवश्य लिखें

महाविद्यालय का परिचय

बिलासपुर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर विकासखण्ड मुख्यालय, मस्तूरी में महाविद्यालय की स्थापना तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन के पूर्व शिक्षामंत्री माननीय स्व. श्री बंशीलाल धृतलहरे जीं के अथक प्रयासों से सन् 16/19 अगस्त 1988 को की गई। स्थापना काल से सन् 30.10.2000 तक महाविद्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मस्तूरी में प्रातः कालीन पाली में संचालित होता रहा। छत्तीसगढ राज्य स्थापना 01 नवंबर 2000 से महाविद्यालय, शासन द्वारा प्रदत्त कोसमडीह रोड मस्तूरी में 15 एकड़ भूमि आबंटित की गई है, जिसमें सासंद/ विधायक मद, जनभागीदारी समिति कोष द्वारा निर्मित कक्ष एवं सभा भवन तथा यू.जी.सी अनुदान द्वारा निर्मित पुस्तकालय भवन में कला संकाय के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर का अध्यापन कार्य संचालित हो रहा है।

2006–07 में क्षेत्रीय विधायक एवं माननीय पूर्व उच्च शिक्षामंत्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, छत्तीसगढ शासन के अथक प्रयासों से महाविद्यालय के नवीन भवन का प्रस्ताव पारित हुआ, तदनुसार लगभग 76.59 लाख रूपये की लागत से महाविद्यालय भवन लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर द्वारा निर्मित कराया गया है। जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, छत्तीसगढ शासन द्वारा विकास यात्रा के दौरान दिनांक 13 जून 2008 को किया गया।

सत्र 2008–09 में महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ हुआ हैं। अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखण्ड मस्तूरी में स्थापित महाविद्यालय स्थापना काल से आज पर्यन्त अध्ययन, अध्यापन, पुस्तकालय, क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना, भौतिक संसाधन के माध्यम से भावी नागरिकों का सर्वागीण विकास कर रहा है।

महाविद्यालय जब प्रारंभ हुआ था उस समय छात्रों की संख्या 07 थी। महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। महाविद्यालय में परीक्षाफल अच्छा रहता है। महाविद्यालय के छात्र–छात्रायें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवायें दे रहे हैं।

पातालेश्वर जी का संक्षिप्त इतिहास

बिलासपुर से 30 एवं मस्तूरी से 13 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण– पश्चिम में स्थित मल्हार दक्षिण कोसल की यह ऐतिहासिक एवं पावन नगर कल्चुरी कालीन मंदिरों के लिये प्रसिद्ध हैं। मल्हार में कल्चुरी कालीन (900 ई. से 1300 ई.) पातालेश्वर मंदिर स्थित है। भूमिज शैली के बने इस मंदिर की आधार पीठिका 108 कोणों वाली है। मंदिर के मण्डप का चबूतरा भूमि से लगभग 6 फुट उंचा हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार एवं बाह्य– आंतरिक भागों में विभिन्न देवी –देवताओं की प्रतिमाएं अंकित है। पातालेश्वर जी का गर्भगृह एक तलघर की तरह है नीचे पहुंचने के लिये कुछ सीढ़िया उतरनी पड़ती है। गर्भगृह में भगवान शिव की विलक्षण प्रतिमा गोमुखी आकार–प्रकार के सुंदरी काले चमकदार पत्थर वाली जलहरी के मध्य त्रिकोणाकृत में अवस्थित है, इस मूर्ति में जितना भी जल चढाया जाये अंदर समाहित हो जाता है। एक विशेष प्रकोष्ठ में अवस्थित शिवलिंग पातालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं।

कल्चुरियों के शासन में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात था। हाल में खुदाई के दौरान पाये गये पुरावशेषों में वर्तमान में यह पुरातात्विक महत्व स्थल बन गया हैं। इस क्षेत्र में खुदाई के दौरान देउर डिंडेश्वरी, पातालेश्वर, चतुर्भुजी विष्णु तथा अनेक बौद्ध और जैन सम्प्रदाय की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। खुदाई से प्राप्त चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा संभवतः दूसरी सदी की हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार क स्तम्भ में गंगा–यमुना और शिव–पार्वती विवाह के प्रसंग उत्कीर्ण हैं। इसकी आधारीय सतह पर तराशे गये युद्धरत हाथियों का चित्रण बाहरी दीवारों तक किया गया हैं। यहां से प्राप्त अनेक भग्नावशेष ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के हैं।

प्राचार्य की कलम से ....

ईश्वर से सृष्टि की रचना की और मनुष्य इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना हैं, ईश्वर ने हमें सोचने एवं समझने की शक्ति प्रदान की है। यह हम पर निर्भर है कि इस शक्ति का प्रयोग हम किस तरह करते है। जीवन में सफल होने एवं निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये समय की पाबंदी एवं संयम का होना आवश्यक है। अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है।

आपके उज्जवल भविष्य के लिये एवं आपके शैक्षणिक स्तर को उच्च से उच्चतर बनाने हेतु हमारा महाविद्यालय परिवार आपकी हर संभव मदद हेतु प्रस्तुत है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के रूप में आप सेवाभावी आदर्श नागरिक बनकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। रेडक्रास के सहयोगी बनकर जल कल्यार्थ वैश्विक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं भाषण, लेखन आदि के द्वारा आप अपनी प्रतिभा को उंचा करने का सतत् प्रयास कर सकते हैं।

स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस हेतु महाविद्यालय में शारीरिक व्यायाम के लिये जिम खाना एवं अन्य खेल गतिविधियाँ संचालित हैं।

अध्ययन, मनन धारण, लेखन सब आपको करना है। हम पुस्तकें, समाचार, पत्र पत्रिकायें प्रायोगिक सुविधायें, खेलकूद सामग्री एवं अध्यापन की उत्तम व्यवस्था द्वारा हर संभव मदद करेंगे। हम चाहते है कि छात्र अनुशासन लगन एवं अध्ययन के साथ शैक्षेणेत्तर गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जनभागीदारी समिति के सुयोग्य सहयोग से महाविद्यालय को समृद्ध एवं विकासवान बनाने का प्रयास करेंगे।

महाविद्यालय में अ.ज.जा एवं पिछड़े वर्ग हेतु शासन द्वारा देय छात्र–वृत्तियों भी है। स्वाध्यायी छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक सुविधायें यहॉ अल्प राशि में उपलब्ध हैं। महाविद्यालय स्तर पर बनी समितियों आपकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ महाविद्यालय में स्वगत करते हैं।

डॉ. डी. आर. साहू

प्राचार्य

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर
पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय

1. बी.ए. प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. पर्यावरण विज्ञान – स्नातक प्रथम वर्ष हेतु

स. ऐच्छिक विषय – निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें। वि.वि. द्वारा परिवर्तन संभावित हैं।

1. समाज शास्त्र	2. अर्थशास्त्र
3. राजनीति शास्त्र	4. हिन्दी साहित्य
5. अंग्रेजी साहित्य	6. भूगोल

बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षो के लिये विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2. बी.ए द्वितीय का पाठ्यक्रम –

बी.ए. पूर्व में ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए.प्रारंभिक में लिये गये थे।

3. बी.ए. तृतीय का पाठ्यक्रम –

बी.ए. तृतीय में वे ही विषय होंगे जो बी.ए.पूर्व में लिये गये हो एवं महाविद्यालय के विषय समूह के अंतर्ग हो।

3. स्नातकोत्तर कक्षाएं (एम.ए)

कला निकाय के निम्नलिखित विषयों के स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है –

1. राजनीति शास्त्र 2. समाज शास्त्र 3. भूगोल

4. स्ववित्तीय मद थे –

1. डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए 2. एम.ए.हिन्दी. 3. एम.ए.अर्थशास्त्र

विज्ञान संकाय

1. बी.एस.सी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

अ. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा

ब. पर्यावरण विज्ञान – स्नातक प्रथम वर्ष हेतु

स. ऐच्छिक विषय – निम्नांकित विषयों समूहों में से कोई एक समूह –
जीव विज्ञान – प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र
गणित – भौतिक शास्त्र गणित एवं रसायन शास्त्र

2. बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष –

बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में लिये गये विषय ही लेने होंगे।

3. बी.एस.सी. तृतीय वर्ष –

बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष में लिये गये विषय ही लेने होंगे।

4. एम.एस.सी. – गणित

5. एम.एस.सी – प्राणीशास्त्र

वाणिज्य संकाय

1. बी. काम प्रथम वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय	–	आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब. पर्यावरण विज्ञान	–	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु
स. अनिवार्य समूह	–	1. वित्तीय लेखांकन एवं व्यायसायिक गणित
		2. व्यावसायिक संचार एवं व्यावसायिक नियन रूप रेखा
		3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

2. बी.काम. द्वितीय वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय	–	आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब. अनिवार्य समूह	–	1. निगमित लेख एवं लागत लेखांकन
		2. व्यावसायिक सांख्यिकी एवं उद्यमिता के मूलतत्व
		3. व्यवसाय प्रबंध एवं कंपनी अधिनिमय

3. बी.काम. तृतीय वर्ष –

अ. अनिवार्य विषय	–	आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा
ब. अनिवार्य समूह	–	वैकल्पिक
1. आयकर (प्रत्यक्ष कर)		1. वित्तीय प्रबंध
2. अप्रत्यक्ष कर		2. वित्तीय बाजार संचालन
3. प्रबंधकीय लेखंकर		4. अंकेक्षण

4. एम. कॉम. –

अ. अनिवार्य विषय	–	आधारभूत पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषा

अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियां

1. क्रीड़ा विभाग

श्री मुकेश बिहारी घोरे	–	क्रीड़ा अधिकारी

2. राष्ट्रीय सेवा योजना

श्रीमती कांति अंचल	–	कार्यक्रम अधिकारी

3. एन.सी.सी.

श्रीमती नीता जौहार	–	केयर टेकर

4. युवा रेडक्रास

श्री. डी.के.सिंह	–	प्रभारी प्राध्यापक

5. कौशल विभाग योजना –

डॉ. सुजाता सैमुअल	–	प्रभारी प्राध्यापक

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत 2013–14
(2016–17 के लिये शासन द्वारा प्रवेश नियमों में जो संशोधन किया जायेगा वह लागू होगा)

1. **प्रयुक्ति –**

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से हैं।

2. **प्रवेश की तिथि :–**

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिये प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जावेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी जायेगी। प्रवेश बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वंय तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश का अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित न होने की तिथि 15 दिन तक, जो भी पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावे, किन्तु इसके लिये कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब यह प्रवेश लेना चाहता है कि, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहां इसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता

2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करनाः–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मुल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुर्नमूंल्याकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोगी हेतु योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा '' उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करे।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौन्सिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनसार अधिमतम 80 विद्याथियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। संबंद्ध विश्वविद्यालय/स्वशायी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया हैं। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्हीं निर्धातिर विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुय, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची,प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने वाले एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया '' की मोहर लगाकर उसे रदद् करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश शुल्क विलंब शुल्क 100/– रूपये अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा तथापित ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटतम पुलिस थाने मे एफ.आई.आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र का अनुक्रंमाक एवं दिनाकं का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्याालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपीनय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया हैं।

4.7 छत्तीसगढ़ शाासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रंमाक 2563/2014/38–1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार '' राज्य शासन, एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है '' का पालन किया जाये।

5. प्रवेश की पात्रता –

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमि. कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वद्यिालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

5.2 स्नातकोत्तर स्तर, नियमित प्रवेश :

(क) बी.कॉम/बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. कॉम/एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी/एम.ए पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms)

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदको का प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर मे ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय, नियमित प्रवेश –

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी परीक्षा की यही प्रकिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTC/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNSIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन कर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीखा –

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई) , इण्डियन कॉसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इन्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षायें मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनबीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framwork) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलो के लिये अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रंमाक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार–

'' जैसा कि आपको ज्ञात है कि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया हैं।

जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गाय है यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोडों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमो में दाखिलो के लिये प्रयास किये जा रहे हों तो उन छात्रो के क्षैतिजिक गत्यात्यकता के लिये सुअवसर मिल सके।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश –

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए/बी.कॉम/बी.एस.सी/बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वाशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जावे।

7.2 छ.ग. से बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालयें से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय,तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य हैं।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थयी प्रवेश की पात्रता –

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा–

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में एक पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेन्ट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थयी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में निर्धारित एग्रीमेट 48प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थयी प्रवेश, नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हतायें–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी भी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओ को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे यह प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने का गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 महाविद्यालय में तोड–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओ को प्राचार्य प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिये अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवायें एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जावे। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का बन्धन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों , भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष में अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड.) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/निःशक्त अभ्यर्थी/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसके दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण –

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिकार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम की सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता –

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 प्रतिशत एग्रीमेंट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या उसके आसपास के अन्य जिले के सर्मीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुये उस विषय/विषय समूह के प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुये प्रवेश दिया जावे। आवेदकों के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आस–पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आनेपर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण –

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों को आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् –

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गो के लिय आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी, परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशष वर्गो के संबंध में क्षतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधियूचित किया जाये तथा यह बिन्दु क्र 12.1 के खण्ड(क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंग। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अंको को अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसी विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जावेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू –कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाये तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतय लिंक के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रंमाक डब्ल्यू. पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – " We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions ans for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाये।

13. अधिभार –

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु उसका उपयोग नहीं किया जाये। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्माधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस/स्काउट्स –

स्काउद्स शब्द को स्काउट्स/गाइडस/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ मे पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट	–	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	–	03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	–	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	–	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतन्त्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी/ एन.एस.एस कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को	–	05 प्रतिशत
(छ)	राल्यपाल स्काउट्स	–	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	–	10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	–	10 प्रतिशत
(य)	डयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	–	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोगाम भाग लेने वाले कैडेट एन.सी.सी/एन.एस.एस. के लिये चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित करने वाल विद्यार्थी को	–	10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर – 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज रूपांकन प्रतियोगितायें–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अन्तर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 04 प्रतिशत

(2) उर्पयुक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में–

(क) प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सककार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में–

क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को – 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यक, कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को – 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(क) छ.ग./म.प्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को – 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम – 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू –कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन –

छत्तीसगढ़ राज्य महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी/खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जावे, जिनकी उन्हें पात्रता हैं कि–

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिये उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगें।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रंमाक निर्धारित किया जायेगा।। अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी। जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हों

15. शोध छात्र –

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोघ छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोघ छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोघ कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोइ्र शिक्षक यदि शोघ छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाणपत्र पर प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हाने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोघ शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोघ छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते है, जहां से उनका शोघ आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोघ कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोघ छात्र का शोघ प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष–

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानी वश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जोने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीपह या अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भीं प्रकारण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिर्वतत /संशोधन/निरसन/संलग्न करने का पूर्ण अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

टीपः– शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

टीप – शासन द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

शिक्षण संस्था की विवरणिका

प्रवेश तिथि :–

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र–छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिये उपस्थित होना अनिवार्य हैं। प्रवेश समिति द्वारा छात्रों की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र–छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा।

प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्र/छात्रा को 24 घंटे के भीतर अथवा निर्दिष्ट समय में प्रवेश शुल्क देना होगा।

प्रवेश पात्रता :–

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र–छात्रा प्रवेश पा सकेंगे–

1. बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–1
   माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12 वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–2
   क. बी.ए. बी.काम एव बी.एस.सी. भाग–1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3. बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. भाग–3
   क. बी.ए. बी.काम एव बी.एस.सी. भाग–2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
4. एम.ए.पूर्व
   क. विश्वविद्यालय की बी.ए. बी.काम एव बी.एस.सी. भाग–3 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
5. एम.ए.अंतिम
   क. विश्वविद्यालय की एम.ए पूर्व की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या
   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

प्रवेश नियम (Admission Rules) :–

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य हैं।
2. आवेदन पत्र के साथ निम्नालिखित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।
   (1) स्थानांतरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate)
   (2) अंकसूची (अंतिम परीक्षा दो प्रतियों) में अभिप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि/फोटो स्टेट कापी।
   (3) चरित्र प्रमाण (Character Certificate) नियमित छात्रों को पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित चरित पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिये किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।

(4) प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) मूल प्रति बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिये।

(5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) पासपोर्ट आकार के दो चित्र।

(7) जाति प्रमाण पत्र, केवल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।

(8) जन्मतिथि प्रमाण पत्र, इसके लिये उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी।

नोट :–

1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेष सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जावेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जावेगी।

3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।

4. छात्र का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिये अपात्र घोषित कर सकते हैं।

5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा। महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दें।

6. जिस छात्र को प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिये।

7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिये, जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंक सूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र/छात्रा को 5/– रू. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ–पत्र (Affidavit) देकर नत्थी करना होगा।

8. छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शायें स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।

प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत :-

1. महाविद्यालय के प्रवेश की अधिकतम संख्या स्थानादि सुविधा क आधार पर निर्धारित की जावेगी।

2. प्रवेश गुणानुक्रम के अनुसार दिया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये स्थान आरक्षित होंगे।

3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक सुवितायें मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिये हैं।

4. महाविद्यालय प्रवेश में एक विशेषाधिकार है जिसे निष्ठापूर्वक कार्य एवं सदाचार अर्जित किया जाना चाहिये।

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी खुले द्वारा की नीति समाप्त कर दी गई हैं। उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्तर पर प्रवेश निर्धारित किया जाता हैं।

प्रवेश सीमा : (सीटों की संख्या)

(स्नातक स्तर)

बी.ए.भाग – एक	–	140	बी.एस.सी (बायोलाजी)	–	40
बी.ए.भाग – दो	–	140	भाग– 1,2 एवं 3		
बी.ए.भाग – एक	–	140	बी.एस.सी (गणित)	–	40
बी.काम.भाग– 1	–	60			
बी.काम.भाग– 2	–	60			
बी.काम.भाग– 3	–	60			

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

डी.सी.ए	–	40
पी.जी.डी.सी.ए	–	40

(स्नातकोत्तर स्तर)

		पूर्व	अंतिम
राजनीति शास्त्र	–	20	20
समाज शास्त्र	–	20	20
भूगोल	–	20	20
हिन्दी साहित्य	–	25	25
अर्थशास्त्र	–	20	20
एम. कॉम.	–	20	20
एम.एस.सी. गणित	–	20	–
एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	–	20	–

शुल्क विनियम :–

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।

2. एक बाद किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क देना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले महाविद्यालय छोड़ दें।

3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।

4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिये। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।

5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालय शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोडने हेतु नियम :–

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।

(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

(द) महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।

(च) निःशेष प्रमाण–पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र या आचरण प्रमाण– पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/– रूपये जमा करना होगा।

(ज) समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जावेगी।

विश्वविद्यालय नामांन : (नवीन छात्रों हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भरकर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र/छात्राओं का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय अवधि में भरना होगा।

महाविद्यालय संबंधी अन्य जानकारियां

ग्रंथालय विभाग :

महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रन्थालय है। ग्रन्थालय में विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकायें एवं शोध, जर्नल्स मंगाये जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने की बुक बैंक योजना कार्यान्वित की जाती हैं, जिसके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को सत्रान्त तक छात्रों के बीच एक सेट पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं जिन्हें परीक्षा उपरान्त वापस लिया जाता है। सामान्य छात्र/छात्राओं को नियमानुसार ग्रन्थालय से पुस्तकें प्रदान की जाती है।

1. पुस्तकालय से पुस्तकों का निर्गमन तथा वापस लेना ग्रन्थालय के नियंत्रण में रहता है, जिसके लिये उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। नियमोल्लंघन करने पर छात्र दण्डित होंगे।
2. ग्रन्थालय में विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं के गठन की सुविधा हैं।
3. ग्रंथालय में महाविद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं को 15 दिनों के लिये दो पुस्तकें निर्गमित की जावेगी।
4. ग्रंथालय से ली गई पुस्तक यदि 15 दिनों के बाद लौटाई गई तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन 1/– के हिसाब से अर्थदण्ड देय होगा। जिसका भुगतान शिक्षण शुल्क की किश्त के साथ अनिवार्य रूप से करना होगा।

शुल्क मुक्ति एवं अन्य सुविधायें :

छत्तीसगढ शासन द्वारा अन्य नियमों के अनुसार छात्रों की शुल्क आदि में निम्नलिखित सुविधायें भी जाती है, जिसे नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालय में लागू किया गया है।

1. कृषक के पुत्र/पुत्रियों को सुविधा –

निम्न आय वाले कृषक के पुत्र/पुत्रियों को अध्ययन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जाती है, यह सुविधा केवल उन्हीं कृषकों के पुत्र/पुत्रियों को उपलब्ध हो सकती है जो 500/– से अधिक मालगुजारी न देते हों। ऐसी सुविधा प्राप्त करने से इच्छुक छात्र अपना आवेदन पत्र निम्नांकित प्रमाण पत्रों के साथ प्राचार्य के पास प्रस्तुत करें।

2. भातृ/भागिनी सुविधा –

यदि महाविद्यालय में दो या अधिक भाई/बहिन नियमित छात्र हो तो बड़े को पूर्ण शुल्क देना होगा। इसके लिये छात्र प्रवेश के तुरंत बाद आवेदन करें।

3. शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये सुविधा–

(अ) शासकीय कर्मचारियों के पृत्र/पुत्रियों की सुविधा/चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा सभी वर्ग के मृत कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर तक माफ रहेगा। माता–पिता का सेवा प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

(ब) 1800/– रूपये तक वेतन प्राप्त करने वाले द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति मिलती हैं।

1. ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रपत्र भरकर माता/पिता के विभागीय प्रमुख के प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश के समय प्रस्तुत करना चाहिये
2. यह सुविधा किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को नहीं मिलती परंतु उत्तीर्ण हो जाने पर दूसरी कक्षा में पुनः प्राप्त हो सकती हैं।
3. स्दाचार नियमित उपस्थिति एवं संतोषजनक प्रगति के आधार पर ही सुचिधा चालू रहेगी। हड़ताल एवं अन्य विध्वंसक कार्यो में भाग लेने वाले छात्रों से यह सुविधा वापस ले ली जावेगी।

4. छात्र सहायता निधि –

योग्य तथा निर्धन छात्रों सहायता निधि से पुस्तक आदि क्रय करने के लिये सहायता दी जाती है।

उपस्थिति :

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय/एन.एस.एस. में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में वह विश्वविद्यालय परीक्षाओं से वंचित हो सकता हैं।

समय–समय पर उपस्थिति के आंकड़ो की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। तत्संबंधी जानकारी उन्हें प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क साधकर प्राप्त करते रहना चाहिये। उपस्थिति में कर्मी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थी या उनके पालकों को सूचना देने के लिये उत्तरदायित्व नहीं है।

जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 15 नवंबर तक 60 प्रतिशत से कम होगी, उनके परीक्षा के आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जावेंगे।

महाविद्यालयीन परीक्षाएं :

विद्यार्थियों को कक्षा में ली जाने वाली अतिरिक्त परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य हैं। प्राचार्य के पूर्व अनुमति के बिना परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्कक कार्यवाही की जावेगी।

संस्था में उपलब्ध खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी :

महाविद्यालय में प्रशिक्षित क्रीड़ाधिकारी के निर्देशन में विभिन्न खेलों की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख रूप से बास्केटबाल, फुटबाल, व्हालीबाल, क्रिकेट, कबड्डी, बैड़मिंटन, खो–खो, एथलेटिक्स, शतरंज, कैरम, वेट लिफ्टींग, कुश्ती आदि खेल प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में संपन्न कराये जाते हैं। इसमें महाविद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ी विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर में अपनी प्रतिभा का और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। छात्रों के शारीरिक विकास हेतु सर्व सुविधायुक्त आधुनिक जिम खाना स्थापित है।

विद्यार्थी सहायता कोष :

यू.जी.सी द्वारा बनाये गये नियमों और निर्देशों के अनुसार इस कोष की स्थापना की गई हैं। इसका उद्देश्य निर्धन तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक आदि के रूप लघु आवश्यकताऔं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देना हैं।

सायकल स्टेण्ड :

महाविद्यालय में सायकल स्टेण्ड की व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यार्थियों से पूरे सत्र के लिये 75/– रूपये स्टेण्ड के रख–रखाव हेतु लिया जाता है। सभी सायकल स्टेण्ड पर ही रखीं जायेगी। कोई भी विद्यार्थी बरामदा या कमरों पोर्च आदि में सायकल रखने पर दण्ड का भागी होगा। अन्यत्र सायकल रखने पर अगर गुम होतीं है तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।

अनुशासन व्यवस्था एवं प्राक्टोरियल बोर्ड :

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के मामलों की जांच एवं निर्णय के लिये एक प्राक्टोरियल बोर्ड रहेगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस) :

महाविद्यालय में एन.एस.एस की संयुक्त 100 स्वंय सेवकों की इकाई कार्यरत है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शहरी बस्तियां और ग्रामों में समाज सेवा के कार्य करने होते हैं। 240 घण्टे की सेवा करने पर विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र मिलता है। समाज सेवा के अंतर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत, प्राथमिकता उपचार आदि कार्य करने होते है। वार्षिक शिविर भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उपस्थित अनिवार्य है।

रेडक्रास सोसायटी :

महाविद्यालय में एक पुरूष और एक महिला इकाई कार्यरत है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सेवा के कार्य का प्रशिक्षण उपचार की जानकारी, रक्त वर्ग परीक्षण, रक्तदान हेतु प्रोत्साहन दिया जाता हैं।

बुक बैंक :

यू.जी.सी एवं शासन की सहायता से निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक का गठन किया गया है, जिससे विद्याथियों को संपूर्ण सत्र के लिये पुस्तके दी जाती है।

नोट :– ऐसे छात्र जो बुक बैंक पुस्तकें लेने की पात्रता रखता है विवरणिका में संलग्न फार्म भरकर पुस्तकालय अधिकारी को पर्याप्त प्रमाण सहित देंगे। पुस्तकालय के उपयोग के लिये परिचय पत्र लाना आवश्यक है। जुलाई माह में फींस कार्ड और प्रवेश कार्ड भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

कौशल उन्नयन योजना :

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी में छात्रहित को ध्यान में रखकर कौशल उन्नयन योजना (National University Students skill Development [NUSSD] Programe) आरंभ किया गया है, जिसका एम.ओ.यू. हो चूका है जिसके अंतर्गत छात्र/छात्राओं को अध्ययन के साथ–साथ स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इसके साथ ही विगत वर्ष से आई.टी.आई. कोनी के प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न रोजगारन्मुख कार्यक्रम आरंभ किया जा चुका है।

एन.सी.सी (N.C.C)

महाविद्यालय में NCC अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 7 वीं बटालियन, बिलासपुर द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2015 को की गई जिसमें सीनियर डिवीजन एवं विंक SD/SW (छात्र/छात्रा) प्रभाग का गठन हुआ। यह एक अंतर्सेवी संगठन है जिसका उद्देश्य युवाओं में चरित्र, साहपर्थ, अनुशासन, समर्पण, नेतृत्व, धर्म निरपेक्ष, निस्वार्थ सेवा एवं नैतिक मूल्यों का संचार करना है। यह संगठित, प्रशिक्षित एवं प्रेरित युवाओं का मानव संसाधन तैयार करता है, जो भविष्य में सशस्त्र सेना को अपनी जिविका बना देश की सेवा के लिये सदैव तैयार रहे। NCC का ध्येय ‘‘ एकता और अनुशासन ’’ है जो हमें समय पाबन्द, कठोर परिश्रमी ईमानदारी एवं मुस्कराते हुये आज्ञा पालन करना सिखाती है। NCC में नामाकंन हेतु आयु 18 से 21 वर्ष रखी गई हैं। पंजीकृत छात्र/छात्रा 3 वर्ष में क्रमशः A,B,C सर्टिफिकेट की परीक्षा देगा एवं उत्तीर्ण होने पर विभिन्न रोजगार में प्रोत्साहन अंक एवं छात्रवृत्ति की योग्यतानुसार हकदार बनेगा।

नोट – नामांकन हेतु इच्छुक छात्र/छात्रा संबंधित विभाग में संपर्क करेंगें।

परिचय पत्र (Identity Card) :

1. परिचय पत्र महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा। ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी छात्र/छात्रा को प्राप्त हो सके।
3. परिचय पत्र सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्र/छात्रा का कर्तव्य हैं।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।
7. परिचय पत्र के खो जाने पर 10/– रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। परन्तु नया परिचय पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विधार्थियों के लिये
आचरण – संहिता

सामान्य नियम–

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विधाथियों को महाविद्यालय के निमयों का पालन करना होगा इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा

1. विधार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिये।
2. प्रत्येक विधार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गली गलौच, मारपीट या आग्नेय अरत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विधार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विधार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वहन करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदाथों का सेवन सर्वधा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गन्दी बातें लिखना सख्त मना हैं। विधार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विधार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम–

1. प्रत्येक विषय में विधार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी/एन.एस.एस में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़–फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम–

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
2. अस्वस्थतावश आन्तरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र –

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्तकर दिया जावेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिरोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपया जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सका हैं।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. म्हाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदने पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिये विशेष परिनियम :–

1. यह विशेष परिनियम विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर से रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा हैं।

2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा।

3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होग–
   1. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना।
   2. मनसिक आघात जैसे मानसिक क्लैश पहुंचना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना आदि।
   3. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना।
   4. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना, चिल्लाना आदि।

4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभाषक या कोई नागरिक अपनी शिकयत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालय में गठित प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे। इस बोर्ड में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप मे प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनित किये जायेंगे। इस हेतु प्रॉक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहुत की जायेगी। यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगे।

5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को देगा।

6. प्रॉक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दण्ड दिया जा सकेगा।
   1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासना
   2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।
   3. दोष छात्र को दण्ड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबंधित होगा।
   4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।
   5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
   6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा। इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करना आवश्यक होगा।

अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रंमाक 83/98, बिलासपुर दिनांक 12.11.1998

प्रतिलिपि–

समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण एवं प्राचार्य, समस्त संबंद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ तथा इस आशय के साथ कि पूर्व में जारी अधिसूचना पृष्ठ क्रंमाक 49/98, बिलासपुर दिनांक 25.07.1998 को मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रंमाक 1343/98सी–3/98 दिनांक 25.04.1998 के परिप्रेक्ष्य में निरस्त माना जाये।

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिबंध अधिनियम :

राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और अनुसांगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियत –

परिभाषा –

क. रैगिंग से आम प्रवाह किसी छात्र का मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित बाध्य या अभदर्शित होता हो या किन्हीं विधि पूर्ण कार्य करने से प्रचरित करना, आपराधिक, दोषपूर्ण परिरोध या उसे पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोष पूर्ण अवरोध , दोष पूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

ख. ‘‘ शैक्षणिक संस्था’’ से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।

रैगिंग का प्रतिषेध :–

1. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

2. यदि कोई व्यक्ति धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो कि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माना से जो 5 हजार रूपये से अधिक से अधिक नहीं होगी या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

3. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. (अ) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

   (ब) इस अधिनियम उपबंधे के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच एवं विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

---

1. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था में प्रधान को छात्र के निष्कासन के अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्णित करने का अधिकार होगा।

2. किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा–4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था को निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

3. ऐसा छात्र जहो निष्कासित किया गया हो अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधनी सिद्ध दोष पाया गया हो , किसी अन्य शैक्षणिम संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रंमाक सी/455/21–अ (प्रारूपण)/2002– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्रं 27 सन् 2001) का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अतिरिक्त सचिव

कार्यालय प्राचार्य शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी,जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

शुल्क विवरण

सत्र् 2020–2021

स्नातकोत्तर स्तर पर

एम.ए. समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी	योग
1	जनरल छात्र	1047	156	400	1603
2	ओ.बी.सी. छात्र	1047	156	400	1603
3	जनरल छात्रा	1047	21	400	1468
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1047	21	400	1468
5	एस.सी. छात्र/छात्रा	1047	21	400	1468
6	एस.टी. छात्र/छात्रा	1047	21	400	1468

एम.ए. समाजशास्त्र तृतीय सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी	योग
1	जनरल छात्र	997	156	400	1553
2	ओ.बी.सी. छात्र	997	156	400	1553
3	जनरल छात्रा	997	21	400	1418
4	ओ.बी.सी. छात्रा	997	21	400	1418
5	एस.सी. छात्र/छात्रा	997	21	400	1418
6	एस.टी. छात्र/छात्रा	997	21	400	1418

एम.ए. राजनीति प्रथम सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी	योग
1	जनरल छात्र	1047	156	400	1603
2	ओ.बी.सी. छात्र	1047	156	400	1603
3	जनरल छात्रा	1047	21	400	1468
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1047	21	400	1468
5	एस.सी. छात्र/छात्रा	1047	21	400	1468
6	एस.टी. छात्र/छात्रा	1047	21	400	1468

एम.ए. राजनीति शास्त्र तृतीय सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी	योग
1	जनरल छात्र	997	156	400	1553
2	ओ.बी.सी. छात्र	997	156	400	1553
3	जनरल छात्रा	997	21	400	1418
4	ओ.बी.सी. छात्रा	997	21	400	1418
5	एस.सी. छात्र/छात्रा	997	21	400	1418
6	एस.टी. छात्र/छात्रा	997	21	400	1418

एम.ए. भूगोल प्रथम सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी	योग
1	जनरल छात्र	1147	176	400	1723
2	ओ.बी.सी. छात्र	1147	176	400	1723
3	जनरल छात्रा	1147	41	400	1588
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1147	41	400	1588
5	एस.सी. छात्र/छात्रा	1147	41	400	1588
6	एस.टी. छात्र/छात्रा	1147	41	400	1588

एम.ए. भूगोल तृतीय सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी	योग
1	जनरल छात्र	997	176	400	1573
2	ओ.बी.सी. छात्र	997	176	400	1573
3	जनरल छात्रा	997	41	400	1438
4	ओ.बी.सी. छात्रा	997	41	400	1438
5	एस.सी. छात्र/छात्रा	997	41	400	1438
6	एस.टी. छात्र/छात्रा	997	41	400	1438

एम.ए. हिन्दी प्रथम सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1047	156	3000	4203
2	ओ.बी.सी. छात्र	1047	156	3000	4203
3	जनरल छात्रा	1047	21	3000	4068
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1047	21	3000	4068
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	1047	21	3000	4068
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	1047	21	3000	4068

एम.ए. हिन्दी तृतीय सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	997	156	3000	4153
2	ओ.बी.सी. छात्र	997	156	3000	4153
3	जनरल छात्रा	997	21	3000	4018
4	ओ.बी.सी. छात्रा	997	21	3000	4018
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	997	21	3000	4018
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	997	21	3000	4018

एम.ए. अर्थशास्त्र प्रथम सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1047	156	3000	4203
2	ओ.बी.सी. छात्र	1047	156	3000	4203
3	जनरल छात्रा	1047	21	3000	4068
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1047	21	3000	4068
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	1047	21	3000	4068
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	1047	21	3000	4068

एम.ए. अर्थशास्त्र तृतीय सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	997	156	3000	4153
2	ओ.बी.सी. छात्र	997	156	3000	4153
3	जनरल छात्रा	997	21	3000	4018
4	ओ.बी.सी. छात्रा	997	21	3000	4018
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	997	21	3000	4018
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	997	21	3000	4018

एम.कॉम. तृतीय सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी/ स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	997	156	3000	4153
2	ओ.बी.सी. छात्र	997	156	3000	4153
3	जनरल छात्रा	997	21	3000	4018
4	ओ.बी.सी. छात्रा	997	21	3000	4018
5	एस.सी. छात्र/छात्रा	997	21	3000	4018
6	एस.टी. छात्र/छात्रा	997	21	3000	4018

डी.सी.ए.

शुल्क का विवरण

क्र.	वर्ग	छात्र/छात्रा	अशासकीय शुल्क	शासकीय शुल्क	जनभागी दारी	जमा राशि
1	अनारक्षित	छात्र	1047	156	10,000	**11,203**
2		छात्रा	1047	41	10,000	**11,088**
2	ओ.बी.सी.	छात्र	1047	156	10,000	**11,203**
3		छात्रा	1047	41	10,000	**11,088**
4	एस.सी.	छात्र+छात्रा	1047	41	10,000	**11,088**
5	एस.टी.	छात्र+छात्रा	1047	41	10,000	**11,088**

पीजीडीसीए

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी/ स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1147	176	12000	13323
2	ओ.बी.सी. छात्र	1147	176	12000	13323
3	जनरल छात्रा	1147	41	12000	13188
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1147	41	12000	13188
5	एस.सी. छात्र/छात्रा	1147	41	12000	13188
6	एस.टी. छात्र/छात्रा	1147	41	12000	13188

एम.ए. हिन्दी प्रथम सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1047	156	6500	7703
2	ओ.बी.सी. छात्र	1047	156	6500	7703
3	जनरल छात्रा	1047	21	6500	7568
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1047	21	6500	7568
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	1047	21	6500	7568
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	1047	21	6500	7568

एम.ए. अर्थशास्त्र प्रथम सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1047	156	6500	7703
2	ओ.बी.सी. छात्र	1047	156	6500	7703
3	जनरल छात्रा	1047	21	6500	7568
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1047	21	6500	7568
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	1047	21	6500	7568
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	1047	21	6500	7568

एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1047	156	6500	7703
2	ओ.बी.सी. छात्र	1047	156	6500	7703
3	जनरल छात्रा	1047	21	6500	7568
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1047	21	6500	7568
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	1047	21	6500	7568
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	1047	21	6500	7568

एम.ए. हिन्दी तृतीय सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1047	156	6500	7703
2	ओ.बी.सी. छात्र	1047	156	6500	7703
3	जनरल छात्रा	1047	21	6500	7568
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1047	21	6500	7568
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	1047	21	6500	7568
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	1047	21	6500	7568

एम.ए. अर्थशास्त्र तृतीय सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1047	156	6500	7703
2	ओ.बी.सी. छात्र	1047	156	6500	7703
3	जनरल छात्रा	1047	21	6500	7568
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1047	21	6500	7568
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	1047	21	6500	7568
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	1047	21	6500	7568

एम.कॉम. तृतीय सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1047	156	6500	7703
2	ओ.बी.सी. छात्र	1047	156	6500	7703
3	जनरल छात्रा	1047	21	6500	7568
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1047	21	6500	7568
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	1047	21	6500	7568
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	1047	21	6500	7568

एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र प्रथम सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1147	176	8500	9823
2	ओ.बी.सी. छात्र	1147	176	8500	9823
3	जनरल छात्रा	1147	41	8500	9688
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1147	41	8500	9688
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	1147	41	8500	9688
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	1147	41	8500	9688

एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र तृतीय सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1147	176	8500	9823
2	ओ.बी.सी. छात्र	1147	176	8500	9823
3	जनरल छात्रा	1147	41	8500	9688
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1147	41	8500	9688
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	1147	41	8500	9688
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	1147	41	8500	9688

एम.एस.सी. गणित प्रथम सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1147	176	8500	9823
2	ओ.बी.सी. छात्र	1147	176	8500	9823
3	जनरल छात्रा	1147	41	8500	9688
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1147	41	8500	9688
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	1147	41	8500	9688
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	1147	41	8500	9688

एम.एस.सी. गणित तृतीय सेमेस्टर

क्र.	वर्ग	अशासकीय	शासकीय	जनभागीदारी / स्ववित्तीय	योग
1	जनरल छात्र	1147	176	8500	9823
2	ओ.बी.सी. छात्र	1147	176	8500	9823
3	जनरल छात्रा	1147	41	8500	9688
4	ओ.बी.सी. छात्रा	1147	41	8500	9688
5	एस.सी. छात्र / छात्रा	1147	41	8500	9688
6	एस.टी. छात्र / छात्रा	1147	41	8500	9688

महाविद्यालय स्टाफ की सूची

प्राचार्य

डॉ. डी.आर.साहू

कला संकाय

हिन्दी विभाग : स्नातकोत्तर एवं शोध केन्द्र

1. डॉ. राजेश चतुर्वेदी – प्राध्यापक

अंग्रेजी विभाग :

1. श्रीमती नीता जौहर – सहायक प्राध्यापक

राजनीति शास्त्र विभाग :

1. डॉ. (श्रीमती) सुजाता सेमुअल – सहायक प्राध्यापक
2. श्रीमती कान्ति अंचल – सहायक प्राध्यापक

अर्थशास्त विभाग :

1. श्री बी.आर. खूंटे – सहायक प्राध्यापक

समाज शास्त्र विभाग : स्नातकोत्तर एवं शोध केन्द्र

1. डॉ (श्रीमती) दुर्गा बाजपेयी – सहायक प्राध्यापक
2. श्री बी.एल. मंडलोई – सहायक प्राध्यापक

भूगोल विभाग :

1. श्री जे.एस. पैकरा – सहायक प्राध्यापक
2. डॉ के.आर मतावले – सहायक प्राध्यापक

विज्ञान संकाय

1. डॉ. डी.आर.साहू – प्राध्यापक (गणित)
2. श्री. एल.के.निराला – सहायक प्राध्यापक (भौतिक शास्त्र)
3. श्री.बी.एस.राज – सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र)
4. श्री नवीन रेलवानी – सहायक प्राध्यापक(वनस्पति शास्त्र)
5. डॉ किरण ठाकुर – सहायक प्राध्यापक(रसायन शास्त्र)

वाणिज्य संकाय

1. डॉ डी.के. सिंह – सहायक प्राध्यापक

अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियां

1. श्री मुकेश बिहारी घोरे – क्रीड़ा अधिकारी

गंथालय

1. .... – रिक्त

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)

कर्मचारियों की सूची

1.	श्री डी.के शुक्ला	–	सहा.ग्रेड–1
2.	श्री एम.आर कुर्रे	–	सहा.ग्रेड–1
3.	श्री ए.आर. भोंसले	–	सहा.ग्रेड–1
4.	श्री अनिल शर्मा	–	प्रयो. तकनीशियन
5.	श्री भूपेन्द्र सर्वे	–	प्रयो. तकनीशियन
6.	श्री सुनील कुमार यादव	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
7.	श्री एस.आर. पालके	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
8.	श्री बृजेश कोरी	–	प्रयोगशाला परिचालक
9.	श्री मुकेश नायक	–	प्रयोगशाला परिचालक
10.	श्री रोशन शेर	–	प्रयोगशाला परिचालक
11.	श्री प्रदीप खूंटे	–	प्रयोगशाला परिचालक
12.	कु. सुकन्या श्रीवास	–	प्रयोगशाला परिचालक
13.	श्री रामस्वरूप कैवर्त	–	बुक लिफटर
14.	श्रीमती कौशिल्या	–	स्वीपर
15.	श्री मनसाय मिरी	–	चौकीदार

PRINCIPAL
Govt. Pataleshwar College
Masturi, Distt. Bilaspur (C.G.)

NATIONAL SEMINAR
on

IQAC & NAAC Committee

G.M.C
11